[2021] 11 एस. सी. आर 237

अरविंद कुमार @नेमिचांद और ओआरएस।

वी.

राजस्थान राज्य

(2017 की आपराधिक अपील संख्या 753)

22 नवंबर, 2021

[संजय किशन कौल और एम. एम. सुंदरेश, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: एस. 303 आर. डब्ल्यू. एस. 149 - के बीच विवाद

मार्ग पर पक्षकारों, मुख्य अभियुक्त और परिणामी पंचायत द्वारा प्राप्त स्थगन का आदेश भी की तारीख को आयोजित किया गया

घटना-मुख्य आरोपी अपने बेटे और 25 अन्य लोगों के साथ मिला

पीड़ित और अन्य गवाहों की भूमि में, और उन पर हमला किया

हथियारों के साथ दो की मौत और अन्य घायल होने की शिकायत

चश्मदीद गवाह द्वारा दायर-दो को बरी किया गया जबकि उनमें से पांच को दोषी ठहराया गया उच्च न्यायालय द्वारा एक और आरोपी को बरी किया गया जबकि

अन्य चार की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, और आगे के लिए आदेश दिया

सी. आर. पी. सी. की धारा 173 (8) के तहत जांच-उसके अनुसार, दस और आरोपी जोड़ा गया-चार अभियुक्तों की दोषसिद्धि और सजा जबकि एक निर्दिष्ट किया गया

किशोर न्याय बोर्ड को, और शेष पाँच को बरी कर दिया गया

-

उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं

अलग नहीं किया जा सकता-लागू किए जाने वाले सामान्य निष्कर्ष सभी अभियुक्तों के लिए-बहुत सारी खामियां हैं जो नहीं हो सकतीं

भरा गया है, और न ही किए गए अपराध के संबंध में एक अलग निष्कर्ष पर आने के लिए कोई सबूत है, जिसमें अधिक से अधिक अपराध भी शामिल है।

निजी बचाव का अधिकार-जब निजी बचाव का अनुरोध है

लिया जाता है, भौतिक साक्ष्य की गुणवत्ता उससे थोड़ी अधिक होनी चाहिए

एक सामान्य परिस्थिति में आवश्यक-नागरिक विवाद

गाँव वालों के दो समूहों के बीच एक आपराधिक मामला बन गया - निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं की गई-चोटों से इनकार

गवाहों द्वारा अभियुक्त, यद्यपि एफ. आई. आर. में उल्लिखित है-स्थान

घटना का भी संदिग्ध-गवाहों द्वारा अत्यधिक निहितार्थ का मामला

प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य भी विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं-देखें

कि एक घायल गवाह के साक्ष्य को उच्च स्तर पर रखा जाना चाहिए

पीठ निजी बचाव के मामले में लागू नहीं हो सकता है जिसमें आरोपी भी घायल हो जाता है-इसके अलावा, डॉक्टर का साक्ष्य इसका समर्थन नहीं करता है

विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य-उत्पत्ति और घटना की उत्पत्ति और

जिस तरह से यह हुआ वह निश्चित रूप से दबा दिया गया है-इस प्रकार, वहाँ

अभियोजन पक्ष का अनुचित दृष्टिकोण है-बरी करने का आदेश

बरकरार रखा गया-बरी किए गए अभियुक्त व्यक्तियों के लिए अपनाए गए तर्क को दूसरों के मामले में भी लागू किया जाना-इस प्रकार, अभियुक्त का अधिकार है

संदेह के लाभ के लिए जो यथासंभव निजी बचाव के अनुरोध को दिया गया है और दायित्व के उचित निर्वहन के साथ प्रशंसनीय है।

एसएस। 96 102-निजी बचाव-याचिका-चर्चा की गई।

एस. 149 - का दायरा-बताया गया।

अभिप्रेरणा-अभियोजन मामले पर प्रभाव-बताया गया।

जाँचः निष्पक्ष जाँच, दोषपूर्ण जाँच और रंगीन जाँच-समझाया गया।

सिद्धांत/सिद्धांतः फाल्सस इन यूनो-फाल्सस इन ओम्निबस

का सिद्धांत।

अभियुक्त द्वारा अपीलों को स्वीकार करते हुए और शिकायतकर्ता द्वारा अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

1.2 एक दोषपूर्ण जांच और एक सोची समझी और जानबूझकर की गई कार्रवाई या निष्क्रियता के बीच एक सूक्ष्म अंतर है। एक दोषपूर्ण जांच अपने आप में सुनिश्चित नहीं करेगी अभियुक्त के लाभ के लिए, जब तक कि यह अभियोजन के मौलिक प्रकृति के मामले की जड़ में नहीं जाता है। एक दोषपूर्ण जाँच से निपटने के दौरान, एक अदालत से अपेक्षा की जाती है कि वह उपलब्ध साक्ष्य की छान-बीन करे और इस सिद्धांत पर सच्चाई का पता लगाए कि प्रत्येक मामले में सच्चाई की ओर यात्रा शामिल है। अभियोजन पक्ष या अदालत द्वारा कोई पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण नहीं होगा क्योंकि एक मामले में नैतिकता के बजाय कानून का एक तत्व शामिल है।

[पैरा 41] [259-बी-डी] अरविंद कुमार @नेमिचांद और ओआरएस। वी. राजस्थान राज्य

1.3 एक अपराध में मानसिक विद्रोह का एक तत्व शामिल होता है जब किसी व्यक्ति का मन एक ऐसी क्रिया बनाता है जो अपराध द्वारा समर्थित नहीं होती है। कानून के रूप में एक सामाजिक संरचना के लोकाचार और मूल्य। यह विचलित व्यवहार अंततः एक अपराध का अग्रदूत है। दर्द, दुख या त्रासदी की भावना मानसिक होती है। यह वही है जो सोचा जाता है और जो पीड़ित है वह नहीं है जो एक क्रिया का गठन करता है। इस तरह की कार्रवाई कभी-कभी सामाजिक विचलन पैदा कर सकती है। यह वह हिस्सा है जिसे जांच अधिकारी और जांच अधिकारी दोनों द्वारा देखे जाने की उम्मीद है।

एक आपराधिक मामले से निपटने के दौरान अदालत। [पैरा 43] [259-ई-एफ]

1.4 एक निष्पक्ष जाँच एक रंगीन जाँच बन जाएगी जब एक दमन शामिल होगा। मकसद, चोटों को दबाना

और अन्य मौजूदा कारक जो आरोप को संशोधित करने या बदलने का प्रभाव डालेंगे, एक निष्पक्ष जांच के बराबर होंगे और इसलिए, एक गलत कथा बन जाएगी। यदि अदालतें पाती हैं कि अभियोजन पक्ष के मामले की नींव झूठी है और निष्पक्षता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है

दमन, तब अभियोजन पक्ष का मामला तब तक आधार पर आता है जब तक कि एक अलग आरोप पर सजा देने के लिए एक निष्कर्ष पर आने के लिए निर्विवाद सबूत न हों। [पैरा 45] [260-डी-ई]

कुमार बनाम। राज्य (2018) 7 एससीसी 536: [2018] 5 एससीआर 343

- संदर्भित किया गया।

1.5 एक निजी रक्षा को एक विशेष तरीके से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के निजी बचाव को सीमित करने की आवश्यकता नहीं है

अकेले व्यक्तिगत अभियुक्त, दूसरों पर लागू होने के लिए। यद्यपि न्यायालय को संतुष्ट करने की प्रारंभिक जिम्मेदारी अभियुक्त पर है, लेकिन साक्ष्य की सीमा संभावनाओं की प्रधानता की है। इसके बाद जिम्मेदारी बदल जाती है। एक बार जब एक निजी बचाव स्वीकार कर लिया जाता है, तो अदालत द्वारा जवाब देने के लिए केवल दो प्रश्न होते हैं, अर्थात्, बचाव आई. पी. सी. की धारा 96 की धारा 102 के दायरे में आता है और दूसरा अति कार्य करता है। में अभिनय की अवधारणा अधिकता को खतरे की आशंका के निरंतर अस्तित्व के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। जब किसी अभियुक्त द्वारा निजी बचाव का अनुरोध लेते हुए हमला जारी रखने से आशंका समाप्त हो जाती है, तो उक्त अधिकार का उल्लंघन होगा। इस प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले हथियार महत्व प्राप्त करेंगे।

मामले के तथ्यों के आधार पर और अगर चोटें आईं [2021] 11 एस. सी. आर.

अभियुक्त द्वारा लाभ तब तक सुनिश्चित किया जाएगा जब तक कि वह नाबालिग और सतही न हो या उद्देश्य से दबा न दिया गया हो। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के व्यक्ति पर चोटों की व्याख्या करने में चूक बहुत अधिक महत्व रखती है जहां साक्ष्य में इच्छुक या शत्रुतापूर्ण गवाह होते हैं या जहां बचाव पक्ष एक ऐसा संस्करण देता है जो अभियोजन पक्ष के साथ संभावना में प्रतिस्पर्धा करता है। [पैरा 46,47] [260-एफ-एच; 261-ए-बी; 265-डी]

काशीराम बनाम। एम. पी. राज्य (2002) 1 एस. सी. सी. 71: [2001] 4 पूरक। एस. सी. आर. 263; गुजरात राज्य बनाम बाई फातिमा (1975)

2 एससीसी 7: [1975] 3 एस. सी. आर. 993-संदर्भित।

1.6 यह सिद्धांत कि जब कोई गवाह झूठ बोलता है, तो सबूत को पूरी तरह से छोड़ना नहीं पड़ता है

हमारे देश में आपराधिक न्यायशास्त्र के लिए सख्त अनुप्रयोग। अनाज से भूसी की छान-बीन करने का सिद्धांत लागू करना पड़ता है। हालांकि, जब साक्ष्य अविभाज्य है और इस तरह का प्रयास या तो असंभव होगा या सबूत बना देगा

अस्वीकार्य, स्वाभाविक परिणाम परिहार का होगा। उक्त सिद्धांत ने कानून का दर्जा नहीं लिया है, बल्कि केवल सावधानी के नियम के रूप में जारी है। किसी दिए गए मामले में विसंगति की प्रकृति को देखना होगा। जब विसंगतियां बहुत भौतिक होती हैं तो गवाह की विश्वसनीयता हिल जाती है जिससे अदालत के दिमाग में यह निष्कर्ष निकलता है कि न तो इसे अलग करना संभव है और न ही इस पर भरोसा करें, यह उक्त न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह या तो स्वीकार करे या अस्वीकार करे। [पैरा 48] [266-ए-सी]

लक्ष्मी सिंह बनाम। बिहार राज्य (1976) 4 एस. सी. सी. 394; आनंद रामचंद्र चौगुले बनाम। सिदाराई लक्ष्मण

चौगला (2019) 8 एससीसी 50 [2019] 11 एससीआर 14

संदर्भित किया गया।

1.7 संहिता की धारा 149 एक सामान्य उद्देश्य से संबंधित है।

इस प्रावधान को आकर्षित करने के लिए इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि आम उद्देश्य के साथ एक सभा गैरकानूनी बन गई है। रचनात्मक या प्रत्यावर्ती दायित्व की अवधारणा को इस प्रावधान में गैरकानूनी सभा के एक सदस्य द्वारा किए गए अपराध को सामान्य उद्देश्य वाले अन्य लोगों के लिए अपराध बनाकर लाया जाता है। यह सामान्य उद्देश्य को साझा करना है जो एक द्वारा किए गए अपराध को दूसरे सदस्यों की ओर आकर्षित करता है। इसलिए, केवल एक में उपस्थिति

सभा करना अपराध नहीं होगा, यह अरविंद कुमार @नेमिचांद और ओआरएस बन जाता है।

वी. राजस्थान राज्य

एक तब जब सभा अवैध हो। एक अपराध करना आम उद्देश्य है जिसके परिणामस्वरूप उक्त अपराध किया जाता है प्रतिबद्ध। इसलिए, हालांकि यह एक द्वारा किया गया है, एक डीमिंग

अपराध करने के उनके उद्देश्य में समानता के कारण इसे दूसरों पर भी लागू करके कल्पना बनाई जाती है। इस प्रकार, यह अभियोजन पक्ष को एक आवश्यक संख्या के साथ सभा के अस्तित्व, सभी के लिए सामान्य उद्देश्य, उद्देश्य गैरकानूनी होने और ऐसे एक सदस्य द्वारा किए गए अपराध जैसे कारकों को साबित करना है। अदालतों को आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत आरोपित अभियुक्त के मामले से निपटने के दौरान अधिक चौकस और सतर्क रहना होगा, क्योंकि इसमें एक काल्पनिक कहानी शामिल है। इसलिए, यह साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर उच्च स्तर की जिम्मेदारी डालने की आवश्यकता है कि अपराध का आरोप लगाने वाला व्यक्ति आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत दूसरों द्वारा किए गए अपराध के लिए दंडित होने के लिए उत्तरदायी है। [पैरा 50] [268-सी-एफ]

रणजीत सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2013) 16 एससीसी 752:

[2013] 13 एस. सी. आर. 633-संदर्भित।

1.8 जब चश्मदीद गवाहों के रूप में पर्याप्त सबूत उपलब्ध हों तो मकसद अपना महत्व खो सकता है।

न्यायालय की स्वीकृति। लेकिन, जब अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के पक्ष में पेश किए गए मामले में एक बोधगम्य परिवर्तन लाने का प्रभाव हो सकता है, तो इसे खारिज नहीं किया जा सकता है।

एक तरफ। यह तब अधिक प्रासंगिक हो जाता है जब कोई अभियुक्त निजी बचाव की याचिका दायर करता है। एक सामान्य वस्तु और एक उद्देश्य आपस में जुड़े हो सकते हैं। इस प्रकार, उद्देश्य के अनुसार निर्दोष साक्ष्य का जानबूझकर और जानबूझकर टालना इसका संस्करण बना देगा

अभियोजन पक्ष एक गंभीर संदिग्ध है। [पैरा 51] [270-जी-एच; 271-ए]

2.1 जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की गई है। पीडब्लू-18 का साक्ष्य दर्ज किया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि सरकारी डॉक्टर है जिसकी ओर से जांच की जाती है। अभियोजन। इस गवाह ने बहुत स्पष्टता के साथ दोहराया है कि आरोपी को पुलिस द्वारा 19.07.1989 पर भेजा गया था। दो प्रदर्शनियों के तहत चोट की रिपोर्ट चोटों की प्रकृति का संकेत देती है। अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए अनुरोध पर दो घायल व्यक्तियों को रोगी के रूप में भर्ती किया गया है और उनका इलाज किया गया है। सवाल उठाए जाने के बावजूद, जानबूझकर इनकार किया गया [2021] 11 एस. सी. आर.

पीडब्लू-20 और पीडब्लू-21 द्वारा। तथ्य यह है कि चोट की रिपोर्ट नहीं थी

लिखा गया है। पीडब्लू-5 द्वारा की गई लिखित शिकायत की उत्पत्ति पर मन में निश्चित रूप से एक बहुत ही गंभीर संदेह उभरता है और वह भी स्पष्ट दमन के दांतों में। पीडब्लू-11 द्वारा दिए गए साक्ष्य कि अभियुक्तों को दुर्घटना के बहाने अस्पताल लाया गया था, को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अन्य घायल गवाह भी वहाँ थे और पोस्टमार्टम किया गया था। उन्होंने पुलिस की मौजूदगी को भी स्वीकार किया। उसका सबूत पीडब्लू-20 या पीडब्लू-21 द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। एक बार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, पूरी तथाकथित वसूली पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जाँच के दौरान तैयार किए गए अन्य दस्तावेजों द्वारा योजना की तैयारी स्पष्ट रूप से घायल अभियोजन पक्ष के गवाहों की भागीदारी का संकेत देती है और इस संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। [पैरा 52] [271-बी-जी]

2.2 यह पाया गया है कि लगी चोटें सरल नहीं हैं

चोटें और वे कई हैं। घायल अभियुक्तों को अस्पताल में रोगियों के रूप में भर्ती कराया गया। जाँच अधिकारी जानबूझकर निजी बचाव के पहलू में नहीं गया। प्राप्त स्थगन आदेश, उसके द्वारा दी गई शिकायत, पक्षों के बीच आयोजित पिछली पंचायत और उसके द्वारा बनाई गई दीवार पर विचार न करने के संबंध में एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति है।

अभियोजन पक्ष के गवाहों और मृतक को पहुँचने से रोकना अपने-अपने स्थान। शायद अभियोजन पक्ष एक अलग निष्कर्ष पर पहुँचता और इसलिए अदालत भी अगर सच्चाई को उसी के अनुसार रखा जाता। इसके विपरीत, गवाह अभियुक्त को लगी चोटों से इनकार करते हैं, हालाँकि एफ़. आई. आर. में इसका उल्लेख है। [पैरा 53] [271 एच; 272-ए-सी] अरविंद कुमार @नेमिचांद और ओआरएस।

वी. राजस्थान राज्य

2.3 घटना का स्थान भी मन में संदेह पैदा करता है, मानचित्र पर तैयार किए गए विरोधाभास को देखते हुए

एक पक्ष और पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 के साथ पीडब्लू-20 का साक्ष्य। पीडब्लू-20 ने यह भी स्वीकार किया है कि इसे पीडब्लू-5 की सलाह के अनुसार तैयार किया गया था। साक्ष्य बताते हैं कि कोई रुकावट नहीं थी, और दीवार का निर्माण मुख्य अभियुक्त द्वारा किया गया था और घटना के स्थान और अभियुक्त की भूमि के बीच बहुत अधिक दूरी नहीं है। यह घटना आंगन में भी हुई जो एक खुली जगह है। यद्यपि वास्तविक शिकायतकर्ता के लिए यह तर्क दिया जाता है कि तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, यह पाया जाता है कि जब तथ्यों पर उचित रूप से विचार नहीं किया जाता है

अदालतें और अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत, यह न्यायालय निश्चित रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 का आह्वान कर सकता है। आखिरकार, एक आपराधिक मामला एक दीवानी मामले की तुलना में एक अलग आधार पर खड़ा होता है जहां अभियोजन पक्ष पर बहुत अधिक जिम्मेदारी होती है। वहाँ एक है

अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा पेश किए गए मामले से आगे न जाने का सचेत प्रयास। [पैरा 54] [272-सी-ई] 2.4 बरी किए गए अभियुक्तों के लिए अदालत द्वारा अपनाए गए तर्क को दूसरों के मामले में लागू करना होगा।

साथ ही व्यक्त किए गए उक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि किया गया दमन अभियोजन पक्ष के मामले पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त होगा।

न्यायालय के लिए किए गए अपराध या उस मामले के संबंध में एक अलग निष्कर्ष पर आने के लिए कोई पर्याप्त सामग्री नहीं है, जो निजी बचाव से अधिक का मामला है। अभियुक्त व्यक्तियों ने निजी बचाव के साथ-साथ एक खुले इनकार की याचिका भी ली है। एक बार जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि जिन अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया गया है, वे उपस्थित नहीं होते, तो निजी बचाव की अवधारणा अधिक महत्व रखती है। स्वयं उच्च न्यायालय और दूसरे अवसर पर निचली अदालत भी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह अति निहितार्थ का मामला है। उस पर न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में कोई त्रुटि नहीं है

गिनती करें। [पैरा 55] [272-एफ-एच; 273-ए]

2.5 अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य, विशेष रूप से, चश्मदीद गवाह विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं। जबकि

इस बात से स्पष्ट इनकार किया जा सकता है कि उन्होंने घायल अभियुक्त व्यक्तियों पर हमला किया था, केवल यह बयान कि वे लकड़ी ले गए थे, निजी बचाव पक्ष की याचिका को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, विशेष रूप से लगी चोटों के आलोक में। गवाह कई [2021] 11 एस. सी. आर. की बात करते हैं।

फारसी जैसे हथियारों का उपयोग करने वाले दोषी अभियुक्त चोटों के अनुरूप नहीं होते हैं। चोटें मुख्य रूप से घाव की प्रकृति की होती हैं। घटना की उत्पत्ति और उत्पत्ति और जिस तरीके से यह हुआ, निश्चित रूप से दबा दिया गया है। जब निजी बचाव की याचिका ली जाती है, तो भौतिक साक्ष्य की गुणवत्ता सामान्य परिस्थितियों में आवश्यक साक्ष्य की तुलना में थोड़ी अधिक होनी चाहिए। चिंता यह साबित करने में अभियोजन पक्ष की भूमिका के साथ है कि उचित संदेह से परे मामला। दुर्भाग्य से, दो लोगों की जान चली गई है। हालांकि, केवल नैतिक आधार पर संदेह कभी भी दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता है। यह न्यायालय केवल अभियोजन पक्ष के अनुचित दृष्टिकोण से उत्पन्न स्थिति पर खेद व्यक्त कर सकता है। संयोग से, बरी किए जाने पर उच्च न्यायालय के विचारों को मंजूरी दी जाती है। [पैरा 56] [273-ए-एफ]

2.6 अभियोजन पक्ष के गवाह हालांकि अलग-अलग स्थानों पर रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वे घटना स्थल पर बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। मान लीजिए, यह घटना रात के समय भी हुई थी और पर्याप्त प्रकाश के अस्तित्व को दिखाने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। [पैरा 57] [273-एफ]

2.7 अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य

दूसरा मुकदमा, अभियोजन पक्ष के संस्करण को बहुत अधिक उजागर करता है। गवाह एक बार फिर दोहराते हैं और न केवल पूर्व विवाद और घटना के तथ्य की पुष्टि करते हैं, बल्कि कुछ दिन पहले मार्ग के बंद होने की भी पुष्टि करते हैं। दबाए जा रहे तथ्यों पर चर्चा की गवाही के माध्यम से मजबूत होती है

दूसरी बार सरकारी डॉक्टर। यहां तक कि अदालतों ने भी पाया कि कुछ मामलों में वसूली साबित नहीं होती है। एफ. आई. आर. दर्ज करने में देरी पर निष्कर्ष दिए गए हैं। गवाहों द्वारा निहितार्थ। इस प्रकार, यह केवल यह कहा जा सकता है कि दूसरा मुकदमा अभियोजन पक्ष के मामले को बेहतर बनाता है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुतिकरण में बल है कि उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने से, जिसे पहले मुकदमे में चुनौती नहीं दी गई है, अरविंद कुमार @नेमिचांद और ओ. आर. एस. को मिल जाएगा।

वी. राजस्थान राज्य

समान रूप से रखे गए अभियुक्त को लाभ, जिसके बरी होने के फैसले को दूसरे मुकदमे में चुनौती दी गई थी। [पैरा 58] [273-जी-एच; 274-ए-बी]

2.8 प्रस्तुत साक्ष्य अलग करने योग्य नहीं है और सामान्य है

प्रस्तुत किए गए निष्कर्ष सभी अभियुक्तों पर लागू किए जाएंगे। बहुत सारी खामियां हैं जिन्हें भरा नहीं जा सकता है, और न ही निजी रक्षा के अधिकार को पार करने सहित किसी अलग निष्कर्ष पर आने के लिए कोई सबूत है। ग्रामीणों के दो समूहों के बीच एक नागरिक विवाद के रूप में जो सामने आया वह एक विवाद में बदल गया

आपराधिक मामला। अभियुक्त-अपीलार्थी संदेह के लाभ के हकदार हैं क्योंकि निजी बचाव की याचिका को यथासंभव प्रमुखता दी जाती है और दायित्व के उचित निर्वहन के साथ प्रशंसनीय है। [पैरा 59,60] [274-सी-डी]

रणजीत सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2013) 16 एससीसी 752:

[2013] 13 एस. सी. आर. 633; राजस्थान राज्य बनाम मनोज कुमार

(2014) 5 एससीसी 744: [2014] 8 एससीआर 589; विश्वास अबा

कुराने वी। महाराष्ट्र राज्य (1978) 1 एससीसी 474; लालजी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1989) 1 एस. सी. सी. 437: [1989] 1 एससीआर

130 ; कर्नाटक राज्य बनाम। मोइन पटेल (1996) 8 एससीसी 167 : [1996] 2 एस. सी. आर. 919; कृपाल सिंह बनाम राज्य

राजस्थान (2019) 5 एस. सी. सी. 646-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2013] 13 एससीआर 633

संदर्भित किया गया है

पै

रा 36

[2014] 8 एससीआर 589

संदर्भित किया गया है

पै

रा 36

(1978) 1 एस. सी. सी. 474

पै

रा 39

संदर्भित किया गया है

[1989] 1 एससीआर 130

संदर्भित किया गया है

पै

रा 39

[1996] 2 एससीआर 919

संदर्भित किया गया है

पै

रा 39

(2019) 5 एस. सी. सी. 646

संदर्भित किया गया है

पै

रा 39

[2018] 5 एससीआर 343

संदर्भित किया गया है

पै

रा 44

[2001] 4 पूरक। एससीआर 263

पै

रा 46

संदर्भित किया गया है

(1976) 4 एस. सी. सी. 394

संदर्भित किया गया है

पै

रा 47

[1975] 3 एससीआर 993

संदर्भित किया गया है

पै

रा 47

[2019] 11 एससीआर 14

संदर्भित किया गया है

पै

रा 49

[2013] 13 एससीआर 633

संदर्भित किया गया है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

753 2017 से। डी. बी. आपराधिक अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से

1990 का No.449।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 754-755 और 2017 का 756।

सुश्री विभा दत्ता मखीजा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आफताब अली खान, सुश्री तहशीना जेड. हुसैन, प्रवीण गौर, अली सफीर फारूकी, सैयद इम्तियाज अली, सुश्री शायरा खन्ना, रजत एस. रॉय, नृपेंद्र नाथ बैन, आनंद मिश्रा, एन. ए. उस्मानी, अमरेंद्र कुमार, संजय जैन, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

आशीष कुमार, ए. ए. जी. रत्नाकर दास, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रमीजुद्दीन रजा, सुश्री हर्ष विनॉय, मिलिंद कुमार, सुदर्शन सिंह रावत, अधिवक्ता। के लिए उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. एम. सुंदरेश, जे.

1. ये सभी अपीलें एक सामान्य घटना से उत्पन्न होती हैं। अपीलों का एक समूह अभियुक्त द्वारा दायर किया जाता है क्योंकि पहले पर आरोप लगाए जाते हैं।

अवसर। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सी. आर. पी. सी.) की धारा 173 (8) को लागू करते हुए पारित आदेश के अनुसरण में शुरू किए गए मुकदमे पर वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा अपीलों का अन्य सेट दायर किया जाता है, जिससे आगे की जांच में सुविधा होती है, जिससे दस और अभियुक्तों को जोड़ा जाता है। बरी किए जाने के खिलाफ अपील को खारिज करने और पहले मुकदमे में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को अनुमति देने के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई है। दोषी व्यक्तियों द्वारा दायर अपीलों पर, वास्तविक शिकायतकर्ता ने हस्तक्षेप के लिए अपना आवेदन दायर किया। हम उपरोक्त परिदृश्य पर अपनी सामान्य व्यवस्था के अनुसार उनसे निपटना उचित समझते हैं।

संक्षिप्त रेखाचित्र

2. सुरजाराम नाम के मुख्य आरोपी का मृतक के साथ रास्ते को लेकर विवाद था। उक्त मार्ग मृत व्यक्ति और अभियोजन पक्ष के कुछ अन्य गवाहों की भूमि से होकर खुलता है और गुजरता है।

उसकी धानी के लिए। मृतक की भूमि और जिस मार्ग पर सुरजाराम अपना होने का दावा करता है, वह सुरजाराम की भूमि से घिरा हुआ है। 3. उपरोक्त विवाद को देखते हुए, सुरजाराम ने अपने द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका में स्थगन का आदेश प्राप्त किया। उन्होंने मृतक और अन्य लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए एक दीवार के माध्यम से एक अवरोध खड़ा किया था।

धानी और भूमि। कहा जाता है कि सुरजाराम ने स्थानीय पुलिस से भी संपर्क किया था। घटना की तारीख को पंचायत के माध्यम से विवाद को हल करने का प्रयास किया गया था। 4. अभियोजन पक्ष का मामला है कि सुरजाराम अपने बेटे और कुल मिलाकर लगभग 25 अन्य अभियुक्तों के साथ मृतक लद्दुराम की भूमि में घुस गया, जो अन्य गवाहों के साथ आंगन में सो रहा था, और 18.07.1989 के शुरुआती घंटों में उन पर फारसी, बरची (छोटी तलवार), लाठी, भाला और तलवार से हमला कर दिया। पास में अपने घर में सो रहे अन्य मृतक मोहन और बृजेंद्र को भी घसीटा गया और उन पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी दो जीपों में आए थे। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि रास्ते को अवरुद्ध करने वाली दीवार को खोला गया था।

5. पीडब्लू-5, हरलाल, एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जिसे घूमने के लिए छड़ी की सहायता की आवश्यकता होती है, ने इस घटना को देखा था लगभग 15-20 फुट की दूरी। अगले दिन यानी 19.07.1989 लगभग

6.00 ए. एम., पीडब्लू-5 पुलिस स्टेशन गया और एक लिखित शिकायत दर्ज कराई जिसे लिखित रूप में पीडब्लू-20 द्वारा प्रदर्शनी पी-13 के तहत प्राथमिकी के रूप में कम कर दिया गया। कहा जाता है कि लिखित शिकायत एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी।

अजनबी जिसकी पहचान किसी भी अभियोजन पक्ष को नहीं पता थी

पीडब्लू-20 सहित गवाह। पीडब्लू-5 के इस बयान पर कि यह पुलिस स्टेशन में लिखा गया था, पीडब्लू-20 ने अज्ञानता का नाटक किया। घायलों को अस्पताल भेजने के बाद पीडब्लू-5 को अन्य गवाहों के साथ लेकर पीडब्लू-20 ने जांच शुरू की। उन्होंने योजना तैयार की और पीडब्लू-5 के सुझाव पर एक रिपोर्ट तैयार की। इस पर अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों में से एक ने हस्ताक्षर किए थे, जिन्होंने भी घटना के बारे में बात की थी, हालांकि सख्ती से नहीं।

प्रत्यक्षदर्शी।

6. सभी घायल गवाहों और मृतक मोहन का पहले अवसर पर पीडब्लू-17 द्वारा इलाज किया गया। इसके बाद पीडब्लू-20 द्वारा किए गए अनुरोध पर पीडब्लू-18 द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। उन्होंने दो घायल अभियुक्तों से भी पूछताछ की। , अरविंद और रामनारायण। निम्नलिखित चोटें आई हैं जो प्रदर्शनी डी-15 और डी-16 से देखी जा सकती हैं:

1] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान

श्री की चोट की रिपोर्ट। अरविंद कुमार पुत्र सुरजाराम जाति-जाट

परीक्षा की तारीखः 19/07/89 8 बजेः 30 एएम.

प्रत्येक का आकार

घाव की प्रकृति,

शरीर का अंग

सरल या

किस वजह से

कटा हुआ, कुचला हुआ

कौन सी चोट

ह

थियार का प्रकार

चोट (इंच में)

परेशान करने वाला।

लंबाई, चौड़ाई और

की वजह से

आदि।

गहराई।

2 सेमी x 0.6 x 0.5

बायां अग्रभाग

घाव का घाव

ब्लंट

एक्स-रे

लौकिक क्षेत्र

सेमी

सामने वाले क्षेत्र में

घाव का घाव

3 सेमी x 2 सेमी x

ब्लंट

-करें।

हड्डी गहरी

स्काल्प आर. टी. चोटिल।

पर पूर्व भाग

घाव का घाव

ब्लंट

3 सेमी x 1 सेमी x

-करें।

हड्डी गहरी

खोपड़ी के ऊपर बाईं ओर

की ओर

2 सेमी x 0.5 x 0.5

बायीं पार्श्विका पर

घाव का घाव

-करें।

ब्लंट

लौकिक क्षेत्र

सेमी

की रेखा में खोपड़ी

कान।

अस्थायी रूप से

3 सेमी x 2 सेमी

घाव का घाव

-करें।

ब्लंट

& सूजन।

खोपड़ी का क्षेत्र

2.5 सेमी x 1 सेमी

सरल।

घाव का घाव

ठोड़ी पर

ब्लंट

बाएँ पैर पर

सरल।

घाव का घाव

2 से. मी. x 0.5 से. मी. x 1

ब्लंट

सेमी

एक्स-रे की सलाह दी

गई

घर्षण

4 सेमी x 1 सेमी

बायां अग्र-भुजा

ब्लंट

एक्स-रे की सलाह दी गई

7 सेमी x 2 सेमी

चोटिल।

ब्लंट

बायीं भुजा पर

7 सेमी x 1.5 सेमी

बायीं ऊपरी भुजा पर

चोटिल।

सरल।

ब्लंट

बाएँ ऊपर की ओर

4 सेमी x 2.5 सेमी

चोटिल।

सरल।

ब्लंट

कोहनी

ब्रूस (दो)

बायीं भुजा पर

सरल।

5 सेमी x 2 सेमी

ब्लंट

पार्श्व पहलू

गर्दन पर (अवैध)

15 सेमी x 2.5 सेमी

सरल।

ब्लंट

चोटिल।

पीठ पर (अवैध)

14 सेमी x 2 सेमी

चोटिल।

सरल।

ब्लंट

चोटिल।

सरल।

10 सेमी x 2 सेमी

बायीं ओर

ब्लंट

(अवैध)

चोटिल।

ठोड़ी के बाईं ओर

13 सेमी x 3 सेमी

ब्लंट

एक्स-रे

सरल।

चोटिल।

बाएँ कंधे के ऊपर

12 सेमी x 2 सेमी

ब्लंट

खोपड़ी के पीछे

चोटिल।

12 सेमी x 2 सेमी

ब्लंट

एक्स-रे

क्षेत्र

ब्लंट

सरल।

चोटिल।

10 सेमी x 2 सेमी

आर. टी. ऊपरी

(अवैध)

सरल।

ब्लंट

आर. टी. घुटने।

चोटिल।

7 सेमी x 2 सेमी

आर. टी. (अवैध)

1 सेमी x 5 सेमी

घर्षण

सरल।

ब्लंट

1 सेमी x 1 सेमी

घर्षण

आर. टी. कंधा

सरल।

ब्लंट

आर. टी. अग्रभुजा

सरल।

घर्षण

1.5 सेमी x 2 सेमी

ब्लंट अरविंद कुमार @नेमिचांद और ओआरएस। वी. राजस्थान राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.] चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान

श्री की चोट की रिपोर्ट। रामनारायण पुत्र रामबक्षा राम, आयु-25 वर्ष

वर्ष, जाति-जाट

परीक्षा की तारीखः 19/07/89 सुबह 9 बजे।

प्रत्येक का आकार

घाव की प्रकृति,

के कारण

सरल या

शरीर का अंग

कटा हुआ, कुचला हुआ

कौन सी चोट

चोट (इंच में)

परेशान करने वाला।

किस तरह का

लंबाई, चौड़ाई और

की वजह से

आदि।

हथियार

गहराई।

खोपड़ी के बीच में

5 सेमी x 2 सेमी x

घाव का घाव

ब्लंट

एक्स-रे

पूर्ववर्ती क्षेत्र

हड्डी गहरी सेमी

घाव का घाव

2.6 से. मी. x 0.5 से. मी. x

आर. टी. पूर्ववर्ती

-करें।

ब्लंट

हड्डी गहरी

खोपड़ी का क्षेत्र

ब्लंट

बाईं आंख की भौंह पर

घाव का घाव

2 सेमी x 0.6 सेमी x

चारों ओर घर्षण

0.6 सेमी

घाव

आर टी। कंधे का ऊपरी हिस्सा

8 सेमी x 0.5 x 0.5

घर्षण

ब्लंट

सेमी

चोटिल।

12 सेमी x 2.5 सेमी

आर टी। कंधा

ब्लंट

10 सेमी x 2.5 सेमी

आर. टी. कंधा

ब्लंट

चोटिल।

ऊपर पास में

चोट के ऊपर

चोटिल।

6 सेमी x 2 सेमी

अनुप्रस्थ

ब्लंट

पीठ से खून बहना

आर टी। कंधा

बगल के पास

घर्षण

5 सेमी x 1 सेमी

ब्लंट

ऊर्ध्वाधर रूप से रखा गया

ब्लंट

चोटिल।

11 सेमी x 2.2 सेमी

बाईं ओर पीछे की ओर

छाती का हिस्सा

तिरछा रखा गया

आर. टी. का पक्ष

चोटिल।

12 सेमी x 2 सेमी

ब्लंट

छाती की पीठ

चोटिल।

8 सेमी x 2 सेमी

छाती के पीछे

ब्लंट

आर टी के ऊपर। साइड

छाती का क्रॉस

चोट लगना

आरटी के पीछे।

ब्लंट

चोटिल।

7 सेमी x 3.3 सेमी

स्क्यापुलर क्षेत्र

बाईं ओर (अवैध)

चोटिल।

सरल।

13 सेमी x 2 सेमी

ब्लंट

क्षेत्र

बायीं ऊपरी भुजा पर

सरल।

चोटिल।

ब्लंट

8 सेमी x 3 सेमी

ब्लंट

घाव का घाव

2 सेमी x 1 सेमी x 0.5

छाती के पीछे

सरल।

बगल के पास

सेमी

ब्लंट

घाव का घाव

1.2 सेमी x 0.5 x 0.5

पीछे की ओर

सरल।

कंधे

सेमी

पीठ के ऊपर

सरल।

13 सेमी x 2 सेमी

चोटिल।

ब्लंट

बाएँ का क्षेत्र

कंधे

ब्लंट

बायां कंधा

घर्षण चोट

सरल।

3 सेमी x 2 सेमी

सरल।

घर्षण

5 सेमी x 4 सेमी

बाएँ निचले हिस्से में

ब्लंट

(अवैध)

कान का पर्दा

(अवैध)

सरल।

आर टी। छोटा अच्छा।

ब्लंट

(अवैध)

उन्हें रोगियों के रूप में लेने और उन्हें आगे के चिकित्सा मूल्यांकन के माध्यम से रखने के दौरान कई चोटें आईं। 8. पीडब्लू-21, जो संबंधित समय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थे, ने पीडब्लू-20 से 24.07.1989 पर जांच शुरू की। जबकि पीडब्लू-20 ने प्रारंभिक जाँच की जिसमें तैयारी भी शामिल थी

कहा जाता है कि योजना और रेखाचित्र, जांच रिपोर्ट और मजार रिपोर्ट, पीडब्लू-21 ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार किया था, सिवाय सुरजाराम के, जो था 08.08.1989 पर पुलिस स्टेशन में ही गिरफ्तार किया गया और बरामदगी की गई। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि लगभग सभी वसूली ज्ञापनों पीडब्लू-11 में ओम प्रकाश, जो एक इच्छुक गवाह भी थे, को चश्मदीद गवाह के रूप में दिखाया गया है। अजीब बात है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी 31.07.1989 पर की गई थी, जबकि उनमें से दो घायल अभियुक्तों को पुलिस द्वारा 19.07.1989 पर जल्द से जल्द अस्पताल भेजा गया था, जैसा कि पीडब्लू-11 द्वारा भर्ती किया गया था।

9. जाँच पूरी होने के बाद, 13 व्यक्तियों में से

पीडब्लू-5 द्वारा अपनी लिखित शिकायत में नामित, केवल सात पर भारतीय दंड संहिता सरलीकरण की धारा 302 और अन्य धाराओं के साथ धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय बड़े अपराध के लिए आरोप लगाया गया है। लगभग सभी गवाह या तो मृतक के करीबी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य हैं। कहा जाता है कि वे भी उपस्थित थे

10. निचली अदालत के समक्ष, पहले मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों से पूछताछ की है और 59 गवाहों को चिह्नित किया है। बचाव पक्ष की ओर से 26 प्रदर्शनों को चिह्नित करते हुए 4 गवाहों से पूछताछ की गई है। दूसरे मुकदमे में, अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों से पूछताछ की और 61 गवाहों को चिह्नित किया, जबकि बचाव पक्ष ने 4 गवाहों से पूछताछ की और 16 गवाहों को चिह्नित किया। कुछ अभियुक्तों ने निजी बचाव का अनुरोध किया जबकि अन्य ने एक साधारण इनकार किया। यह दोनों मामलों को नियंत्रित करने वाली तथ्यात्मक स्थिति है। 11. निचली अदालत ने पहले मौके पर दो अभियुक्तों को बरी कर दिया और उनमें से पांच को दोषी ठहराया। अपील पर उच्च न्यायालय ने एक को बरी कर दिया

अन्य चार की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए अधिक आरोपी। इस प्रक्रिया में इसने बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया।

12. इस बीच, इसके अनुसरण में एक और रिपोर्ट दायर की गई थी

आगे की जांच के लिए सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत आदेश पारित किया गया। इस प्रकार, लगभग 10 और अभियुक्तों की एक श्रृंखला अरविंद कुमार @नेमिचांद और ओआरएस थी।

और उसी घटना पर दूसरी बार मुकदमा चलाया गया। इस बार, उनमें से चार को दोषी ठहराया गया था, जबकि एक को कानून के साथ संघर्ष में किशोर होने के कारण किशोर न्याय बोर्ड को भेजा गया था। शेष पाँच अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। इस प्रकार, चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

13. एक बार फिर, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें की गईं। इस बार, उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपीलों को खारिज करते हुए दोषी अभियुक्तों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया। अब राज्य को छोड़कर सभी पक्षों ने हमारे समक्ष अपनी-अपनी अपील दायर कर दी है।

अदालत के समक्ष साक्ष्य

14. हमने अपने सामने पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तार से अध्ययन किया है। हम सबूतों पर स्पर्श करना चाहेंगे बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्ष का पक्ष। पीडब्लू-5 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) के लेखक हैं। कहा जाता है कि उन्होंने रात में ऐसी घटना देखी थी जहां पर्याप्त प्रकाश के अस्तित्व का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। वह वास्तव में चलने में असमर्थ होने के बावजूद पास के स्थान पर अपने द्वारा संग्रहीत लट्ठ और पत्थर लेने गया था। वह एक डिग्री धारक हैं। वह अन्य गवाहों के साथ पी. डब्ल्यू.-20 के कार्यालय में सुबह लगभग 06.00 बजे आई. डी. 1 पर पहुँचा। अपने साक्ष्य में उन्होंने कहा है कि लिखने की क्षमता के बावजूद उन्हें नहीं पता था कि शिकायत किसने लिखी थी। एक स्पष्टीकरण दिया गया कि वह स्थिति को देखते हुए नहीं लिख सकते थे, हालांकि घायल गवाहों सहित अन्य चश्मदीद गवाह मौजूद थे। यह उसका सबूत है कि यह पुलिस स्टेशन में लिखा गया था। वह लद्दुराम के खिलाफ प्राप्त स्थगन सहित दीवानी कार्यवाही से भी अवगत थे। यह उनका आगे का बयान है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की धानी और सुरजाराम के मैदान से गुजरने वाले मैदान का रास्ता वास्तव में उनके द्वारा बंद कर दिया गया था और वे चाहते थे कि इसे खोला जाए। उन्होंने मार्ग का भी उपयोग किया। यह स्वीकार किया गया है कि बड़ी भीड़ की उपस्थिति को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि कौन किसे पीट रहा था। घटना की तारीख की सुबह पंचायत के संचालन को स्वीकार कर लिया गया था। उन्होंने अभियुक्तों को मृतक और घायल गवाहों पर उनके द्वारा दिए गए हथियारों से हमला करते हुए भी देखा है।

15. पीडब्लू-6 ने बयान दिया था कि आरोपी व्यक्ति घटना से ठीक पहले पैदल उसके घर आए थे। उनके साथ भी विवाद हुआ था

मार्ग के संबंध में, मुख्य आरोपी सुरजाराम के साथ। वह स्वीकार करते हैं कि मैदान सुरजाराम का था और मार्ग को [2021] 11 एस. सी. आर. पर बंद कर दिया गया था।

घटना की तारीख। उनका दावा है कि उन्होंने घायल आरोपी को लगी चोटों को नहीं देखा। सुरजाराम का मैदान लद्दुराम के मैदान से सटा हुआ है। उनके द्वारा किए गए विरोधाभास को उजागर करने के लिए, बचाव पक्ष ने प्रदर्शनी डी-3 को चिह्नित किया है जो उनके द्वारा सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिया गया बयान है।

पीडब्लू-9 ने अदालत में पहली बार कुछ अभियुक्तों की पहचान की। वह एक बार फिर इस घटना के बारे में बात करते हैं। एक विशिष्ट प्रश्न पर, उन्होंने पंचायत आयोजित करने से इनकार कर दिया।

16. पीडब्लू-10, जो एक प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, ने एक बार फिर इस तथ्य को स्वीकार किया कि सुरजाराम का मैदान मार्ग के दोनों ओर स्थित है।

उन्होंने इस तथ्य से इनकार किया कि विवाद पहले के अवसर पर पुलिस स्टेशन पहुंचा था। यह गवाह मृतक लद्दुराम का बेटा है।

17. पीडब्लू-11 घटना से ठीक पहले लगभग 20-25 अभियुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति के बारे में बताता है। वह वह गवाह भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अभियोजन पक्ष द्वारा की गई अधिकांश बरामदगी पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें प्रदर्शनी पी-21-पी-28 और पी-31 से पी-36 शामिल हैं। वह वही है जो सुरजाराम द्वारा प्राप्त ठहराव के आदेश से व्यथित है। बचाव भी

18. उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण पर, न केवल प्राथमिकी दर्ज करने के समय अभियुक्त की उपस्थिति हो सकती है समझा लेकिन पुलिस स्टेशन तक पहुँचने वाले विवाद का तथ्य भी, जैसा कि बचाव पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है, घटना की तारीख पर, हालांकि सुबह के समय, स्पष्ट है।

19. पीडब्लू-18 वह डॉक्टर है जिसने पोस्टमॉर्टम किया। उन्होंने बयान दिया है कि मृतक मोहन सिंह की मौत का कारण अरविंद कुमार @नेमिचांद और ओआरएस था।

20. यह ध्यान रखना बहुत प्रासंगिक है कि पीडब्लू-18 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने अरविंद कुमार की चिकित्सा जांच भी की और रामनारायण, दो घायल अभियुक्त व्यक्ति। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रदर्शनी डी-15 और डी-16, जिसे बचाव पक्ष द्वारा आश्चर्यजनक रूप से चिह्नित किया गया है, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं, उपरोक्त दो अभियुक्त व्यक्तियों की चोट की रिपोर्ट से संबंधित है, जिसमें क्रमशः 25 और 20 घायल हैं। अपने साक्ष्य में

पीडब्लू-14 ने दूसरे मुकदमे में निम्नलिखित बयान दियाः

" मैंने आरोपी अरविंद कुमार और राम नारायण के शरीर पर लगी चोटों की चिकित्सकीय जांच भी की है, वे दोनों अस्पताल में ही भर्ती रहे। दोनों मरीज भर्ती थे। दोनों अभियुक्तों का चिकित्सकीय परीक्षण

यह लक्ष्मणगढ़ पुलिस स्टेशन के अनुरोध पर किया गया था। अरविंद कुमार पुत्र सुरजाराम के शरीर पर लगी चोटों के लिए सुबह 7 से 8 बजे 19.07.1989 पर चिकित्सा जांच की गई और उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं।

21. अभियोजन पक्ष के उक्त साक्ष्य को स्वीकार करने में हमें कोई कठिनाई नहीं है, विशेष रूप से किसी भी पुनः जांच के अभाव में, इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि दो घायल अभियुक्तों को कई चोटें आईं, उन्हें रोगियों के रूप में भर्ती कराया गया, आगे का उपचार किया गया और यह सब। जैसा भी मामला हो, पीडब्लू-20 और पीडब्लू-21 द्वारा दी गई सलाह पर हुआ। उपरोक्त तथ्यों का एक स्पष्ट और स्पष्ट दमन है।

22. पीडब्लू-20, जैसा कि कहा गया है, वह स्टेशन अधिकारी था जिसने प्रारंभिक जाँच की थी। उन्होंने उद्देश्य की ओर से कोई जांच नहीं की,

विशेष रूप से मार्ग को लेकर पक्षों के बीच मौजूदा विवाद के संदर्भ में, सुरजाराम द्वारा स्थगन का आदेश प्राप्त किया गया था, और परिणामी पंचायत आयोजित की गई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने न तो मार्ग का दौरा किया और न ही आसपास की भूमि का। उन्हें याद नहीं था कि शिकायत किसके द्वारा, कब और कहाँ लिखी गई थी। हालांकि यह दिखाने के लिए कुछ सबूत थे कि वह आरोपी से मिला था, लेकिन उसे उनसे मिलना याद नहीं था। उनके द्वारा यह कहते हुए स्पष्ट सबूत दिए गए हैं कि [2021] 11 एस. सी. आर.

विवादित रास्ता खुला था। उनका दावा है कि उन्होंने आरोपी को नहीं भेजा था

अस्पताल तक। योजना और रेखाचित्र पीडब्लू-5 की सलाह के अनुसार तैयार किए गए थे। आस-पास के घरों और आस-पास के खेतों के मालिकों से कोई जांच नहीं की गई। अवलोकन मजार रिपोर्ट तैयार करने के समय उन्होंने किसी भी गवाह का बयान दर्ज नहीं किया। अभियोजन पक्ष के गवाह उक्त स्थान पर उपलब्ध थे। रास्ते को अवरुद्ध करने वाली कोई दीवार उनके पास नहीं थी।

पी-36। अपने साक्ष्य में वह कहता है कि 02.08.1989 पर उसने अभियुक्त व्यक्तियों की चिकित्सीय जांच करने के लिए पत्र लिखे थे। वह भी नहीं था। नागरिक विवाद से जुड़े ऊपर वर्णित तथ्यों से अवगत हैं। उन्हें याद नहीं था कि क्या उन्होंने गिरफ्तारी ज्ञापन के अनुसार आरोपी व्यक्तियों को लगी चोटों का उल्लेख किया था। हालाँकि, उन्हें 24.07.1989 पर ही चोट की रिपोर्ट मिली। उन्होंने विवादित स्थल का दौरा भी नहीं किया और न ही आस-पास के जमींदारों से पूछताछ की।

25. चर्चा किए गए सबूतों से, दोनों को इलाज दिए जाने के कुछ दिनों बाद पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी की गई थी घायल गवाहों, लगभग सभी वसूली ज्ञापनों में पीडब्लू-11, ओम प्रकाश का नाम मिला, जो एक इच्छुक गवाह है। हम नहीं जानते कि कैसे और किस तरह से गिरफ्तारी की जा सकती है, विशेष रूप से जब पीडब्लू-18 के साक्ष्य दो अभियुक्त व्यक्तियों को लगी चोटों के संबंध में स्पष्ट हैं और जब उन्हें इलाज के लिए भेजा गया था, तो वे पुलिस की हिरासत में थे, जिसे उन्होंने रोगियों के रूप में लिया था। जाहिर है, पीडब्लू-21 ने भी अभियुक्त को लगी चोटों की कोई जांच नहीं की। हम और कुछ नहीं कहना चाहते।

26. दस्तावेजों के साथ बचाव पक्ष की ओर से जांचे गए गवाह मुख्य रूप से घटना से पहले के दो कारकों का संकेत देंगे, अर्थात् घटना की तारीख के सुबह के घंटों में सुरजाराम द्वारा शिकायत की गई है, जिसके बाद उसी अरविंद कुमार @नेमिचंद और ओआरएस को हल करने का प्रयास किया गया है।

वी. राज्य की स्थिति

राजस्थान [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

पंचायत के माध्यम से। बचाव की चोट की रिपोर्ट को चिह्नित किया गया है

बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत मामले के समर्थन में अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए सीआरपीसी की धारा 161 के बयानों के साथ।

27. दूसरे मुकदमे में अभियोजन पक्ष के गवाह पहले वाले के समान हैं, सिवाय कुछ अतिरिक्त गवाहों के। यहां भी, पीडब्लू-3 के रूप में भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि घटना से कुछ दिन पहले विवादित रास्ता बंद कर दिया गया था और आरोपी रामनारायण को अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया था। अभियोजन पक्ष के मामले में यह फिर से एक और विरोधाभास है।

28. पीडब्लू-4, हरलाल, जो पहले के मुकदमे में पीडब्लू-5 थे, ने अदालत में कुछ और अभियुक्तों की पहचान की। यहाँ तक कि इस गवाह ने भी एक बार फिर कहा

कि मृतक लादुराम के खेत का रास्ता, घटना से कुछ दिन पहले बंद कर दिया गया था। पहले के मुकदमे के दौरान पहले अवसर पर दिए गए बयान को दोहराते हुए, एक और बयान दिया गया है कि लिखित शिकायत लिखने के लिए कागजात से लिए गए थे

लेकिन उसके आसपास का क्षेत्र। यहाँ तक कि घटना की तारीख को, मार्ग था बंद कर दिया। हालाँकि, उन्होंने इस प्रभाव से गवाही दी कि यह एस. एच. ओ. ही था जिसने रास्ता खोला जो उक्त अधिकारी द्वारा दिए गए बयान का भी खंडन करता है।

29. मृतक लादुराम के बेटे बृजेंद्र को दूसरे मुकदमे में पीडब्लू-5 के रूप में रखा गया है। उन्होंने आरोपी को लगी चोटों से इनकार किया। पीडब्लू-8, ओम

प्रकाश ने अन्य गवाहों द्वारा दिए गए बयान के अनुरूप दावा किया कि सुरजाराम ने रास्ता बंद कर दिया है, जैसा कि मृतक लादुराम ने उसे बताया था। वह पक्षों के बीच दीवानी कार्यवाही के बारे में भी जानते थे। मृतक लादुराम के बेटे पीडब्लू-9 ने कहा था कि अभियुक्त सुरजाराम के खेत की चारदीवारी को उनके द्वारा हटा दिया गया था।

30. पीडब्लू-20, जो प्रासंगिक समय पर एस. एच. ओ. थे, ने पहले वाले के अनुरूप अपना साक्ष्य दिया। अपने साक्ष्य में उन्होंने कहा है कि

कि उसने मृतक के पड़ोसियों से कोई पूछताछ नहीं की और जब वह यात्रा कर रहा था तो विवादित रास्ता खुला था। उस समय कोई दीवार नहीं थी। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, उन्होंने अपदस्थ कर दिया था कि वे प्रदर्शनी पी-10 के तहत लिखित रिपोर्ट के लेखक और उस स्थान को नहीं जानते थे जहां यह लिखा गया था।

1] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31. हालांकि बचाव पक्ष ने भी सबूत दिए और कुछ दस्तावेजों को चिह्नित किया, हम उनके बारे में विस्तार से नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि हम पहले ही उन पर चर्चा कर चुके हैं। इसलिए, हमारे सुविचारित विचार में, पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है।

अदालतें

32. हम पहले आरोप पत्र के संबंध में निचली अदालत या उच्च न्यायालय द्वारा अलग से दिए गए निष्कर्षों में नहीं जाना चाहते हैं।

और फिर दूसरा आरोप पत्र। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि अति निहितार्थ, अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में विरोधाभास, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी और परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं किए जाने सहित कुछ गवाहों पर अविश्वास करने के संबंध में अभियुक्त के पक्ष में निष्कर्ष थे। अदालतों ने यह भी पाया कि जिस तारीख को सी. आर. पी. सी. की धारा 161 के बयान दर्ज किए गए हैं, उस तारीख को कुछ अंतर्वेशन हैं। दूसरे अवसर पर अदालतों ने की गई वसूली को मंजूरी नहीं दी।

33. दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से सबूत है कि दोषी आरोपी

हमलावर हैं, घटना का स्थान विवाद में नहीं है, चोटें, यदि कोई हैं, तो मामूली हैं और ऐसे विशिष्ट हमले हैं जिन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। जिस पर निचली अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त तर्कपूर्ण दोषसिद्धि प्रदान की गई है

प्रस्तुतियाँ

अभियुक्त की ओर से

34. प्रस्तुतियाँ विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं

अपीलार्थियों/अभियुक्तों और उन प्रत्यर्थियों की ओर से भी जिन्हें बरी कर दिया गया था। इस प्रकार, हम प्रस्तुतियों को एक साथ संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहेंगे। निजी बचाव की याचिका विशेष रूप से ली गई है जिस पर निचली अदालतों द्वारा सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया है और न ही उस पर कोई जांच की गई है। लगभग 6 बजे दर्ज की गई एफ़. आई. आर. में हुई देरीः 10 ए. एम. 19.07.1989 पर शाम 5 बजे ही संबंधित मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने के बाद, हालांकि एक जीप उपलब्ध थी, पी. डब्ल्यू.-20 द्वारा समझाया नहीं गया है। पी. डब्ल्यू.-17 और पी. डब्ल्यू.-18 के साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई चोट रिपोर्ट में एफ. आई. आर. संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। एफ़. आई. आर. पूर्व-दिनांकित प्रतीत होती है। जाँच एजेंसी द्वारा स्पष्ट रूप से दमन किया गया है। मकसद की कोई जांच नहीं की गई है। स्थल योजना पीडब्लू-20 और पीडब्लू-6 के साक्ष्य के विपरीत है। निचली अदालतों को अभियोजन पक्ष के गवाहों के इच्छुक गवाह होने के साक्ष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए था।

सामग्री अरविंद कुमार @नेमिचांद और ओआरएस हैं। वी. का राज्य

राजस्थान [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

दिए गए साक्ष्य में विरोधाभास। अपेक्षित मापदंड होने चाहिए

आई. पी. सी. की धारा 149 लागू करने के लिए अनुपालन उपलब्ध नहीं हैं। सबसे अच्छा, यह अचानक लड़ाई का मामला हो सकता है। साक्ष्य में विसंगतियाँ पाए जाने और अभियुक्त को संदेह का लाभ दिए जाने के बाद, दूसरों के लिए भी ऐसा ही किया जाना चाहिए था। घटना में हुआ है

एक खुली जगह। विवादित संपत्ति और घटना स्थल के बीच ज्यादा दूरी नहीं है। पुनर्प्राप्ति नहीं हो रही है

साबित, हालांकि दूसरे मामले में, पहले मामले में भी लागू किया जाना चाहिए था। जाँच के दौरान और अदालत के समक्ष भी कोई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं था। लगी हुई चोटें केवल घाव वाली चोटों का संकेत देती हैं न कि चीरे से। चिकित्सा साक्ष्य चोटों के संबंध में नेत्र साक्ष्य के विपरीत है। जहाँ तक बरी किए गए अभियुक्तों का सवाल है, उच्च न्यायालय ने ठोस तर्क दिया है। प्रस्तुत किए गए उक्त निष्कर्षों में कुछ भी विकृत नहीं है। चूँकि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, यह न्यायालय केवल विकृति के आधार पर उच्च न्यायालय के प्रशंसनीय या संभावित दृष्टिकोण में हस्तक्षेप कर सकता है।

35. उच्च न्यायालय द्वारा दूसरे मुकदमे में बरी किए गए अभियुक्त व्यक्तियों को पहले मुकदमे के संबंध में बरी किए गए अन्य लोगों की तरह ही रखा गया है और इसलिए, उक्त निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है, दूसरों पर इस न्यायालय के समक्ष की गई चुनौती को खारिज किया जा सकता है। न केवल गवाहों बल्कि अभियुक्त की चोट रिपोर्ट में दर्ज की गई एफ़. आई. आर. की संख्या का उल्लेख न करना, एक गंभीर संदेह पैदा करता है कि उक्त एफ़. आई. आर. पूर्व-दिनांकित है। गवाहों ने आरोपी की गलत पहचान की है और वसूली से संबंधित ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले कुछ गवाह मुकर गए हैं।

36. विद्वान वकील ने नीचे निर्दिष्ट निर्णयों के माध्यम से प्रस्तुतियों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया:

1. काशी राम मामला (2002) 1 एस. सी. सी. 71

2. लक्ष्मी सिंह मामला (1976) 4 एस. सी. सी. 394

3. रणजीत सिंह बनाम। पंजाब राज्य, (2013) 16 एससीसी 752

4. राजस्थान राज्य बनाम। मनोज कुमार, (2014) 5 एससीसी 744

वास्तविक शिकायतकर्ता और राज्य की ओर से

37. नीचे दी गई दोनों अदालतों द्वारा दिए गए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा क्योंकि दोषसिद्धि दी गई है और केवल इसलिए कि गवाह या तो परिवार के सदस्य या रिश्तेदार हैं, उनका साक्ष्य

अविश्वासी बनें। कुछ अभियुक्तों के खिलाफ विशिष्ट और स्पष्ट कार्रवाई की गई है। कई चोटों का सामना करना पड़ा जिससे एक अनुमान लगेगा। दोषपूर्ण जाँच से अभियुक्त को कोई लाभ नहीं होगा। जब अभियोजन पक्ष के बयान के समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह के पर्याप्त सबूत हों तो केवल देरी करना कभी भी बरी होने का आधार नहीं हो सकता है। निजी बचाव की दलील और अचानक लड़ाई एक दूसरे के आंतरिक रूप से विरोधी हैं। अन्य अभियुक्तों की उपस्थिति आई. पी. सी. की धारा 149 को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होगी। साक्ष्य में केवल विसंगतियाँ अभियोजन पक्ष के बयान को गलत नहीं बनाती हैं। एफ. आई. आर. भेजने में देरी महत्वपूर्ण नहीं है।

38. उच्च न्यायालय ने गलत तथ्यात्मक निष्कर्ष दर्ज करने में त्रुटि की है

पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5 के साक्ष्य के संबंध में, जो स्पष्ट रूप से उन अभियुक्तों की उपस्थिति के बारे में बात करते हैं जिन्हें दूसरे मामले में बरी कर दिया गया था।

मुकदमा। इसने निचली अदालत के तर्क को गलत नहीं माना। दूसरे मुकदमे में पीडब्लू-9 के साक्ष्य को उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा गया है।

39. विद्वान वकील ने निम्नलिखित पर विशिष्ट भरोसा कियाः

निर्णयः

1. विश्वास अबा कुराने बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1978) 1 एस. सी. सी. 474

2. लालजी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1989) 1 एस. सी. सी. 437

3. कर्नाटक राज्य बनाम। मोइन पटेल (1996) 8 एस. सी. सी. 167
4. कर्नाटक बनाम. मोइन पटेल (1996) 8 एस. सी. सी. 167

चर्चा निष्पक्ष , दोषपूर्ण, रंगीन जाँच

40. एक जाँच अधिकारी से एक लोक सेवक होने के नाते निष्पक्ष रूप से जाँच करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा करते समय, उनसे सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उपलब्ध सामग्री की तलाश करने की अपेक्षा की जाती है। वह अपराध से संबंधित है और अपराधी के खिलाफ भी। यह अपराध है कि वह जाँच करता है। जब भी कोई हत्या होती है, तो एक जांच अधिकारी से सभी पहलुओं को शामिल करने की अपेक्षा की जाती है और इस प्रक्रिया में, हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि क्या अपराध आई. पी. सी. की धारा 300 के बिना आई. पी. सी. की धारा 299 के तहत आएगा। दूसरे शब्दों में, यह संतुष्ट करना उसका प्राथमिक कर्तव्य है कि एक मामला गैर-इरादतन हत्या के तहत आता है जो हत्या के बराबर नहीं है अरविंद कुमार @नेमिचांद और ओआरएस।

और फिर हत्या। जब पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो, तो वह आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मामला तैयार करने में अति उत्साही नहीं होगा। हम मानते हैं कि एक लचीले परिवर्तन की आवश्यकता है

जाँच अधिकारी का मन। आखिरकार, ऐसा अधिकारी अदालत का एक अधिकारी भी होता है और उसका कर्तव्य सच्चाई का पता लगाना और अदालत को सही निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करना होता है। वह पीड़ित या अभियुक्त के पक्षों को नहीं जानता है, लेकिन केवल कानून द्वारा निर्देशित किया जाएगा और अपनी जांच में निष्पक्षता का प्रतीक होगा।

41. एक दोषपूर्ण जांच और एक सोची समझी और जानबूझकर की गई कार्रवाई या निष्क्रियता के बीच एक सूक्ष्म अंतर है।

अभियोजन पक्ष या अदालत द्वारा कोई पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण नहीं होगा क्योंकि एक मामले में नैतिकता के बजाय कानून का एक तत्व शामिल है। 42. हमारा उपरोक्त अवलोकन जांच अधिकारियों और कभी-कभी अदालतों के दृष्टिकोण को इंगित करना है। एक स्पष्ट अंतर है

ज्ञान और इरादे पर संहिता। हम कानून की स्थिर स्थिति को दोहराना नहीं चाहते हैं, बल्कि इसका उद्देश्य केवल सोते हुए मन को व्यक्त करना है।

43. एक अपराध में मानसिक विद्रोह का एक तत्व शामिल होगा जब किसी व्यक्ति का मन एक ऐसी क्रिया बनाता है जो लोकाचार द्वारा समर्थित नहीं है और

कानून के रूप में एक सामाजिक संरचना के मूल्य। यह विचलित व्यवहार अंततः एक अपराध का अग्रदूत है। दर्द, दुख या त्रासदी की भावना मानसिक होती है। यह वही है जो हम सोचते हैं न कि जो हम पीड़ित हैं जो हमारे भीतर एक क्रिया का गठन करता है। इस तरह की कार्रवाई कभी-कभी सामाजिक विचलन पैदा कर सकती है। यह वह हिस्सा है जिसे आपराधिक मामले से निपटने के दौरान जांच अधिकारी और अदालत दोनों द्वारा देखे जाने की उम्मीद है।

44. हम केवल उपरोक्त सिद्धांत को दोहराएंगे।

कुमार बनाम के निम्नलिखित निर्णय के माध्यम से जांच। राज्य, (2018) 7 एससीसी 536:

" 27. जिस तरह से उन्होंने किया है, उस तरीके से मामले को आगे बढ़ाने में जांच प्राधिकरण की कार्रवाई की निंदा की जानी चाहिए। इस पहलू पर उच्च न्यायालय ने सही ढंग से ध्यान दिया कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए गिरफ्तारी को विफल कर दिया है। यद्यपि हम परभु बनाम में निर्धारित अनुपात से अवगत हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सम्राट [परभू बनाम। राजा सम्राट, ए. आई. आर. 1944 पी. सी. 73], जिसमें अदालत ने फैसला सुनाया था कि गिरफ्तारी की अनियमितता और अवैधता अपराध की दोषीता को प्रभावित नहीं करेगी यदि यह ठोस साक्ष्य द्वारा साबित किया जाता है, फिर भी इस मामले में ऐसी अनियमितता को सम्मान दिखाया जाना चाहिए क्योंकि जांच अधिकारी तथ्यों को दबाने के लिए जिम्मेदार हैं। 28. आपराधिक न्याय निंदा से ऊपर होना चाहिए। यह अप्रासंगिक है कि क्या झूठ गवाहों के बयान में है या आरोपी के अपराध में है। जाँच अधिकारी की जिम्मेदारी है कि

निष्पक्ष तरीके से जाँच करें और सच्चाई को उजागर करें। दोहराने की कीमत पर, मुझे संबंधित अधिकारियों को जांच शुरू करने के लिए याद दिलाना चाहिए

तटस्थ तरीके से, अंतिम परिणाम की परवाह किए बिना। हाथ में इस मामले में, हम अपनी आँखें बंद नहीं कर सकते हैं कि क्या हुआ है; अपराध या साक्ष्य की प्रबल अनुनय की परवाह किए बिना, जिस पहलू में पुलिस ने तथ्यों को दबाने के लिए सक्रिय रूप से मिलीभगत की है, उसे नजरअंदाज या अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

45. एक निष्पक्ष जाँच एक रंगीन जाँच बन जाएगी जब एक दमन शामिल होगा। उद्देश्य, चोटों और अन्य मौजूदा कारकों को दबाना जिसका प्रभाव प्रभार को संशोधित करने या बदलने का होगा

यह एक निष्पक्ष जांच के बराबर होगी और इसलिए, एक गलत कथा बन जाएगी। यदि अदालतें पाती हैं कि अभियोजन पक्ष के मामले की नींव झूठी है और एक सचेत दमन के खिलाफ निष्पक्षता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो अभियोजन पक्ष का मामला ही तब तक आधार पर आता है जब तक कि किसी अन्य आरोप पर सजा देने के लिए किसी निष्कर्ष पर आने के लिए निर्विवाद सबूत न हों।

निजी रक्षा

46. एक निजी रक्षा को एक विशेष तरीके से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के निजी बचाव को व्यक्तिगत अभियुक्त तक ही सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है।

अकेले, दूसरों पर लागू होने के लिए। यद्यपि न्यायालय को संतुष्ट करने की प्रारंभिक जिम्मेदारी अभियुक्त पर है, लेकिन साक्ष्य की सीमा संभावनाओं की प्रधानता की है। इसके बाद जिम्मेदारी बदल जाती है। एक बार जब एक निजी बचाव स्वीकार कर लिया जाता है, तो अदालत को केवल दो प्रश्नों का उत्तर देना होता है, अर्थात्, बचाव आई. पी. सी. की धारा 96 की धारा 102 के दायरे में आता है और दूसरा अति कार्य करता है। अधिकता में कार्य करने की अवधारणा

खतरे की आशंका के निरंतर अस्तित्व के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। जब एक आरोपी द्वारा निजी बचाव का अनुरोध लेते हुए हमला जारी रखने से आशंका समाप्त हो जाती है, तो आर. वी. आई. एन. डी. कुमार @नेमिचांद और ओ. आर. एस.

वी. राजस्थान राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

उक्त अधिकार का संपादन होगा। प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले हथियार

घ मामला के तथ्यों के आधार पर महत्व प्राप्त करता है और यदि अभियुक्त को मामूली और सतही होने तक नुकसान उठाना पड़ता है याउद्देश्य के आधार पर, लाभ सुनिश्चित होगा। निम्नलिखित पैराग्राफ में काशीराम बनाम में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया गया है। एम. पी. राज्य,

2) 1 एस. सी. सी. 71 सम्मानित होगाः

" 22. उच्च न्यायालय द्वारा अनदेखी किए गए कुछ प्रासंगिक तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं पर अब ध्यान दिया जा सकता है। जाँच एक गंभीर दुर्बलता से ग्रस्त है जिसने कुछ हद तक अभियुक्त के बचाव में पूर्वाग्रह पैदा किया है। जाँच अधिकारी ने पाया कि अभियुक्तों में से एक को उसी घटना के दौरान चोटें आई हैं जिसमें अभियोजन पक्ष के लोगों को चोटें आई हैं, जाँच अधिकारी को कम से कम कारण और परिस्थितियों की जाँच करने का प्रयास करना चाहिए था, जिसके परिणामस्वरूप,

अभियुक्त प्रभु के व्यक्ति पर चोटें। न केवल जांच अधिकारी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने रिकॉर्डिंग करने का प्रयास भी नहीं किया

अभियुक्त प्रभु का बयान। अगर केवल यही किया जाता, तो घटना का बचाव संस्करण जांच अधिकारी के सामने होता और जांच पूरी नहीं होती।

एकतरफा।

23. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 105 में प्रावधान है कि उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार उस पर है जो अभियुक्त के कार्य को निजी बचाव के अधिकार के प्रयोग के भीतर एक अपराध के रूप में लाएगा और अदालत ऐसी परिस्थितियों के अभाव को मान लेगी। हालाँकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अभियुक्त पर बोझ इतना भारी नहीं है जितना कि अभियोजन पक्ष पर है। जबकि अभियोजन पक्ष को अपराध साबित करना होगा

अभियुक्त को अपने स्तर पर, यानी किसी भी उचित संदेह से परे, एक विवेकपूर्ण व्यक्ति के स्तर को संतुष्ट करना होता है। यदि सामग्री पर अभिलेख पर उपलब्ध संभावनाओं की एक प्रमुखता उठाई जाती है जो अभियुक्त द्वारा ली गई याचिका को प्रशंसनीय बनाती है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और किसी भी मामले में संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

अभियुक्त तक विस्तारित किए जाने के योग्य (दह्याभाई देखें) छगनभाई ठक्कर बनाम। गुजरात राज्य [ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1563], पंजाब राज्य बनाम। गुरबक्स सिंह [1995 पूरक (3) एस. सी. सी. 734: 1996 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 88] और विजय सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [(1990) 3 एस. सी. सी. 190 1990 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 378: ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 1459]। विजय में

सिंह मामला [(1990) 3 एस. सी. सी. 190: 1990 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 378:

एस. सी. 1459] इस न्यायालय ने बचाव पक्ष द्वारा ली गई एक कमजोर या शानदार याचिका के बीच के अंतर पर जोर दिया जिसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए और एक उचित लेकिन अपूर्ण रूप से साबित याचिका जो अभियोजन पक्ष के संस्करण पर वास्तविक संदेह पैदा करती है और इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से सफल होगी। यह एक विवेकपूर्ण, चतुर और सतर्क मन का संदेह है जो हर किसी के लिए मन के उचित अनुप्रयोग के बाद आता है। साक्ष्य से प्रकट होने वाले मामले की प्रासंगिक परिस्थिति जो उचित है। (एस. सी. सी पी. 218, पैरा 29)

24. उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों के लिए आत्मरक्षा याचिका की उपलब्धता की इस आधार पर आलोचना और अस्वीकार करना भी सही नहीं था कि याचिका को अभियुक्तों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयानों में विशेष रूप से नहीं लिया गया था और क्योंकि अभियुक्त प्रभु ने गवाह बॉक्स में प्रवेश नहीं किया था। यद्यपि साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 प्रमाण के भार के संबंध में एक नियम अधिनियमित करती है, लेकिन यह इसका पालन नहीं करती है कि निजी बचाव की याचिका को विशेष रूप से लिया जाना चाहिए और यदि नहीं लिया जाता है तो मामले में उपलब्ध साक्ष्य से बनाए जाने पर विचार करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। आत्मरक्षा की याचिका अभियोजन पक्ष के गवाहों की प्रतिपरीक्षा में या धारा 313 के तहत दर्ज अभियुक्त व्यक्तियों के बयान में इस तरह की याचिका पेश करके ली जा सकती है। सी. आर. पी. सी. या बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करके। और, भले ही याचिका को इन तीन तरीकों में से किसी एक में पेश नहीं किया जाता है, फिर भी इसे विजय सिंह मामले [(1990) 3 एस. सी. सी. 190 में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित मामले में प्राप्त संभावनाओं और परिस्थितियों पर भरोसा करके प्रस्तुतियों के दौरान उठाया जा सकता हैः 1990 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 378: ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 1459] यह बुनियादी आपराधिक न्यायशास्त्र है कि एक अभियुक्त को एक गवाह के रूप में पूछताछ के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और बचाव पक्ष के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष केवल इसलिए नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि एक अभियुक्त व्यक्ति ने गवाह बॉक्स से दूर रहने का विकल्प चुना है।

25. हम व्यक्ति के निजी बचाव के कानून को बहुत सारे विवरणों में बताना आवश्यक नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारे उद्देश्य के लिए, दंड संहिता, 1860 के कुछ प्रावधानों पर ध्यान देना और फिर से बताना पर्याप्त होगा।

केवल कुछ प्रासंगिक और स्थिर सिद्धांत। धारा 96 में प्रावधान है कि कुछ भी अपराध नहीं है जो निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए किया जाता है। धारा 97 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को एक अधिकार, विषय है।

आर. वी. आई. एन. डी. कुमार @नेमिचांद और ओ. आर. एस. को प्रभावित करने वाले किसी भी अपराध के खिलाफ अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा करने के लिए, धारा 99 में निहित प्रतिबंधों के लिए।

वी. राजस्थान राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

मानव शरीर। धारा 99 के तहत किसी भी मामले में निजी बचाव का अधिकार आवश्यक से अधिक नुकसान पहुंचाने तक नहीं फैला है।

रक्षा के उद्देश्य से हमला करना। धारा 100 के तहत, शरीर की निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु का कारण बनने तक फैला हुआ है यदि अपराध जो इस तरह के अधिकार का प्रयोग करता है वह एक हमला है जो यथोचित रूप से मृत्यु या गंभीर चोट की आशंका का कारण बनता है। धारा 101 के तहत, धारा 99 द्वारा प्रदान किए गए अधिकार को छोड़कर, यह अधिकार स्वैच्छिक रूप से हमलावर को मृत्यु के अलावा किसी अन्य नुकसान का कारण बनता है। धारा 102 के तहत एक बार उपलब्ध अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक कि शरीर को खतरे की आशंका बनी रहती है। जब खतरे की आशंका समाप्त हो जाती है और फिर भी कोई व्यक्ति अपना हमला जारी रखता है, तो वह निजी बचाव के अधिकार को पार कर जाता है।

यह सुझाव देते हुए पेश किया गया कि वे अभियोजन पक्ष के सदस्य थे जो हमलावर थे और आरोपी केवल अपने व्यक्ति के बचाव में काम कर रहे थे। उन्होंने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया जब आरोपी प्रभु पर हमला किया जा रहा था और उसे मारे जाने या गंभीर चोट लगने की आशंका थी।

28. देव राज बनाम। एच. पी. राज्य [1994 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 552: 1994 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1489: ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 523] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां अभियुक्त को उसी घटना के दौरान चोटें आईं जिसमें शिकायतकर्ता घायल हो गए थे और जब उन्होंने यह दलील दी है कि उन्होंने आत्मरक्षा में काम किया है, तो विशेष रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा उनकी चोटों के बारे में कोई स्पष्टीकरण के अभाव में इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है।

30. क्या अभियुक्त व्यक्तियों में से किसी को आई. पी. सी. की धारा 149 की सहायता से चोट पहुँचाने के लिए किसी अपराध का दोषी ठहराया जा सकता था? हम पहले ही मान चुके हैं कि अभियुक्त व्यक्तियों को अभियुक्त प्रभु के व्यक्तिगत बचाव का अधिकार था।

उद्देश्य गैरकानूनी नहीं था और इसलिए कोई गैरकानूनी सभा नहीं थी, लेकिन एक बार जब उन्होंने अधिकार का उल्लंघन किया, तो सभा वैध नहीं रही और एक गैरकानूनी सभा बन गई। वहाँ भी केवल विधानसभा के ऐसे सदस्य जो निजी रक्षा के अधिकार से अधिक कुछ भी करने के उद्देश्य को साझा करते हैं, अकेले ही सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए कार्यों या उनके व्यक्तिगत गैरकानूनी कार्यों के लिए दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे। द. अभियुक्त व्यक्तियों की संख्या, पाँच या उससे अधिक, को आई. पी. सी. की धारा 149 की सहायता से पूरी तरह से दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक कि पूरी सभा निजी बचाव के अधिकार के प्रयोग से अधिक कुछ भी करने के सामान्य उद्देश्य को साझा नहीं करती है। इस मामले में, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि रमेश द्वारा की गई चोट के अलावा अन्य कोई भी चोट शिकायतकर्ता पक्ष के सदस्यों के घुटने टेकने और फिर भी रमेश द्वारा उन पर गोली चलाने के बाद लगी थी। यदि उन्होंने अभियोजन पक्ष के सदस्यों के पीछे मुड़ने और घटना स्थल से भागने से पहले कोई चोट पहुंचाई थी, तो कोई गैरकानूनी सभा नहीं थी और कोई भी नहीं हो सकता था।

धारा 148 के तहत या आई. पी. सी. की धारा 149 की सहायता से दोषी ठहराया गया। उच्च न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, और यह मानने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सकारात्मक सबूत उपलब्ध नहीं है कि किसी भी आरोपी (रमेश के अलावा, जिसके बारे में हम इसके बाद बात कर रहे हैं) ने किसी को भी चोट पहुंचाई है।

निजी रक्षा उपलब्ध होना बंद हो गया था।

47. लक्ष्मी सिंह बनाम। बिहार राज्य, (1976) 4 एस. सी. सी. 394, ने एड द्वारा झेली गई चोटों के दमन के प्रभाव पर विचार किया। तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि अभियुक्त पर चोटें विरोधी हैं और अभियोजन पक्ष की जानकारी में हैं, तो उसे अस्वीकार करते हुए मुकदमा चलाने में विफलता घातक होगी, विशेष रूप से जब मृतक और घायल अभियुक्त की जांच करने वाला व्यक्ति गवाही देता है।बुद्धिमान हैं। उपरोक्त निर्णय के अनुच्छेद 12 में इस प्रकार कहा गया हैः

अरविंद कुमार @नेमिचांद और ओआरएस। वी. राजस्थान राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

" 12. ..... हमें ऐसा लगता है कि हत्या के मामले में घटना के समय या विवाद के दौरान आरोपी को लगी चोटों का स्पष्टीकरण न देना बहुत महत्वपूर्ण है।

अनुमानः " (1) कि अभियोजन पक्ष ने उत्पत्ति और घटना की उत्पत्ति को दबा दिया है और इस प्रकार सही संस्करण प्रस्तुत नहीं किया है;

(2) कि जिन गवाहों ने अभियुक्त के व्यक्ति पर चोटों की उपस्थिति से इनकार किया है, वे सबसे अधिक भौतिक बिंदु पर झूठ बोल रहे हैं और इसलिए उनका साक्ष्य अविश्वसनीय है;

(3) कि यदि एक बचाव संस्करण है जो अभियुक्त के व्यक्ति पर चोटों की व्याख्या करता है तो यह संभावित रूप से प्रस्तुत किया जाता है ताकि अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह करने के लिए "।

अभियोजन पक्ष की ओर से चोटों की व्याख्या करने में चूक

अभियुक्त का व्यक्ति बहुत अधिक महत्व रखता है जहाँ साक्ष्य में इच्छुक या शत्रुतापूर्ण गवाह होते हैं या जहाँ बचाव पक्ष एक ऐसा संस्करण देता है जो अभियोजन पक्ष के साथ प्रायिकता में प्रतिस्पर्धा करता है। तत्काल मामले में, जब यह अभिनिर्धारित किया जाता है, जैसा कि यह होना चाहिए, कि अपीलार्थी दशरथ सिंह को गंभीर चोटें आई हैं जो नहीं आई हैं।

अभियोजन पक्ष द्वारा समझाया गया है, तो अदालत के लिए पीडब्लू 1 से 4 और 6 के साक्ष्य पर भरोसा करना मुश्किल होगा, विशेष रूप से, जब इनमें से कुछ गवाहों ने यह कहते हुए झूठ बोला है कि उन्होंने आरोपी के व्यक्ति पर कोई चोट नहीं देखी है। इस प्रकार न तो सत्र न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण पर उचित विचार किया है।

अभियोजन मामले में प्रकट होने वाली कमी या दुर्बलता। हमें जल्दबाजी करनी चाहिए

यह जोड़ें कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा गुजरात राज्य बनाम में अभिनिर्धारित किया गया है। बाई फातिमा [(1975) 2 एस. सी. सी. 7] ऐसे मामले हो सकते हैं जहां अभियोजन पक्ष द्वारा चोटों का गैर-स्पष्टीकरण अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं कर सकता है। यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से उन मामलों में लागू होगा जहां अभियुक्त द्वारा की गई चोटें मामूली और सतही हैं या जहां साक्ष्य इतना स्पष्ट और ठोस है, इतना स्वतंत्र और उदासीन, इतना संभावित, सुसंगत और विश्वसनीय है, कि यह चूक के प्रभाव से कहीं अधिक है। चोटों की व्याख्या करने के लिए अभियोजन। हालाँकि, वर्तमान निश्चित रूप से ऐसा मामला नहीं है, और इसलिए, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले में इस गंभीर दुर्बलता को अस्वीकार करने में गलती की।

परिसर।

48. यह सिद्धांत कि जब कोई गवाह झूठ बोलता है, तो सबूत को पूरी तरह से छोड़ना पड़ता है, हमारे देश में आपराधिक न्यायशास्त्र पर सख्ती से लागू नहीं हो सकता है। अनाज से भूसी की छान-बीन करने का सिद्धांत लागू करना पड़ता है। हालाँकि, जब साक्ष्य अविभाज्य है और इस तरह का प्रयास या तो असंभव होगा या साक्ष्य को अस्वीकार्य बना देगा, तो स्वाभाविक परिणाम टालना होगा। उक्त सिद्धांत ने कानून का दर्जा नहीं लिया है, बल्कि केवल सावधानी के नियम के रूप में जारी है। किसी दिए गए मामले में विसंगति की प्रकृति को देखना होगा। जब विसंगतियां बहुत भौतिक होती हैं जो गवाह की विश्वसनीयता को हिला देती हैं जिससे अदालत के दिमाग में यह निष्कर्ष निकलता है कि न तो इसे अलग करना संभव है और न ही उस पर भरोसा करना संभव है, तो यह उक्त अदालत को स्वीकार करना या अस्वीकार करना है।

49. आनंद रामचंद्र चौगुले बनाम में इस न्यायालय द्वारा कानून के उक्त सिद्धांत पर विचार किया गया है। सिदाराई लक्ष्मण चौगला, (2019) 8 एस. सी. सी. 50, जो इस प्रकार कहता हैः

पक्षों के बीच हाथापाई से चोटों में परिणत होना दो अदालतों द्वारा तथ्य का एक समवर्ती निष्कर्ष है। यह तथ्य कि अभियुक्त ने भी उसी घटना के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की थी, पीडब्लू 19 और 22, जांच अधिकारियों के साक्ष्य से स्थापित होता है, जिन्होंने स्वीकार किया है कि प्रतिवादी अभियुक्त ने भी बीआरपीएस सीआर दर्ज किया था। नं. 79/02-चिह्नित एक्सट। डी-10, जिसकी उनके द्वारा जांच नहीं की गई थी। इसी तरह, पुलिस कांस्टेबल पीडब्लू 11 ने बयान दिया कि दो अभियुक्तों को भर्ती कराया गया था

जिला अस्पताल, बेलगाम में और वह निगरानी ड्यूटी पर तैनात था। घटना 7-6-2002 की है और प्रतिवादी-अभियुक्त 1 और 2 को 11-6-2002 पर आरोपमुक्त कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा उनकी चोट की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया है

इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

10. आरोपों को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है

सभी उचित संदेह से परे। इसके विपरीत, अभियुक्त को केवल अभियोजन पक्ष के मामले और उसके बचाव की संभावना के बारे में संदेह पैदा करना है।

एक अभियुक्त को आर. वी. आई. एन. डी. कुमार @नेमिचांद और ओ. आर. एस. की आवश्यकता नहीं है। वी. राजस्थान राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

11. यह तथ्य कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत एक आरोपी द्वारा बचाव नहीं किया गया हो सकता है, अभियोजन पक्ष को सभी उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने से दोषमुक्त नहीं कर सकता है। यदि ऐसी सामग्री है जिसका अभियोजन पक्ष जवाब देने में असमर्थ है, तो बचाव में कमजोरी अभियोजन पक्ष की यह दावा करने की ताकत नहीं बन सकती है कि परिस्थितियों में कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं थी। सुनील कुंडू बनाम। झारखंड राज्य

[सुनील कुंडू बनाम। झारखंड राज्य (2013) 4 एस. सी. सी. 422: (2013) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 427], इस न्यायालय ने कहाः (एससीसी पीपी। 433-34 , पैरा 28)

" 28. ..... जब अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में सक्षम नहीं होता है

उचित संदेह से परे यह इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकता है कि आरोपी अपने बचाव को संभव नहीं बना पाए हैं। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अभियोजन पक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए या गिरना चाहिए। यह अभियुक्त के मामले की कमजोरी से समर्थन प्राप्त नहीं कर सकता है, अगर उसने अपने मामले को आगे साबित नहीं किया है। उचित संदेह "।

12. तथ्य यह है कि उसी घटना के संबंध में आरोपी द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, पुलिस यह समझाने में विफल रही कि इसकी जांच क्यों नहीं की गई, इस स्वीकार किए गए तथ्य के साथ कि आरोपी को भी उसी घटना में लगी चोटों के संबंध में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन चोट की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया और पुलिस ने इसे दबा दिया। अभियोजन, पर्याप्त संदेह पैदा करता है जिसका अभियोजन पक्ष जवाब देने में असमर्थ रहा है।

13. हम अपीलार्थियों की ओर से इस निवेदन से सहमत होना मुश्किल पाते हैं कि उसी घटना के संबंध में अभियुक्त द्वारा दर्ज प्राथमिकी की जांच करने या उनकी चोट की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखने में अभियोजन पक्ष की विफलता केवल एक दोषपूर्ण जांच थी। हमारी यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष निष्पक्ष रूप से कार्य करने और सभी प्रासंगिक सामग्रियों को प्रस्तुत करने में विफल रहा है

अदालत के समक्ष हुई घटना के संबंध में जो इसे केवल [2021] 11 एस. सी. आर. लेने में सक्षम बनाती है।

और निष्पक्ष निर्णय ने उनके लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया है। एक मेला

आपराधिक मुकदमे में मुकदमे से पहले के चरण में एक निष्पक्ष जांच शामिल होती है, एक निष्पक्ष सुनवाई जहां अभियोजन पक्ष अदालत से कुछ भी नहीं छिपाता है और न्याय के व्यापक हित में अदालत द्वारा न्यायपूर्ण और उचित निर्णय को सुविधाजनक बनाने के लिए निष्पक्ष रूप से कानून के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करता है।

धारा 149 का दायरा

50. संहिता की धारा 149 एक सामान्य उद्देश्य से संबंधित है। इस प्रावधान को आकर्षित करने के लिए आम लोगों के साथ एक सभा का प्रमाण होना चाहिए

गैरकानूनी बनने की वस्तु। रचनात्मक या प्रत्यावर्ती दायित्व की अवधारणा को इस प्रावधान में गैरकानूनी सभा के एक सदस्य द्वारा किए गए अपराध को सामान्य उद्देश्य वाले अन्य लोगों के लिए अपराध बनाकर लाया जाता है। यह सामान्य उद्देश्य को साझा करना है जो एक द्वारा किए गए अपराध को दूसरे सदस्यों की ओर आकर्षित करता है। इसलिए, एक सभा में केवल उपस्थिति एक अपराध नहीं होगी, यह बन जाता है

एक तब जब सभा अवैध हो। अपराध करना आम बात है जिसके परिणामस्वरूप उक्त अपराध किया जाता है। इसलिए, हालांकि यह एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, एक अपराध करने के उनके उद्देश्य में समानता के कारण इसे दूसरों पर भी लागू करके एक काल्पनिक कल्पना बनाई जाती है। इस प्रकार, यह अभियोजन पक्ष को एक आवश्यक संख्या के साथ सभा के अस्तित्व, सभी के लिए सामान्य उद्देश्य, उद्देश्य गैरकानूनी होने और अपराध जैसे कारकों को साबित करना है।

इस तरह के एक सदस्य द्वारा प्रतिबद्ध। अदालतों को आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत आरोपित अभियुक्त के मामले से निपटने के दौरान अधिक चौकस और सतर्क रहना होगा, क्योंकि इसमें एक काल्पनिक घटना शामिल है। इसलिए, यह साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर उच्च स्तर की जिम्मेदारी डालने की आवश्यकता है कि अपराध का आरोप लगाने वाला व्यक्ति आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत दूसरों द्वारा किए गए अपराध के लिए दंडित होने के लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त पहलू को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत पर इस न्यायालय द्वारा रणजीत सिंह बनाम में ध्यान दिया गया है। पंजाब राज्य, (2013) 16 एससीसी 752:

सभा, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि उसने कुछ ऐसा किया था या करने के लिए छोड़ दिया था जो यह दिखाएगा कि वह सदस्य था गैरकानूनी सभा या जब तक कि मामला आई. पी. सी. की धारा 142 के तहत नहीं आता है।

आर. वी. आई. एन. डी. कुमार @नेमिचांद और ओ. आर. एस. वी. राजस्थान राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

परिणामस्वरूप, यदि किसी परिवार के सभी सदस्य और गाँव के अन्य निवासी घटना स्थल पर इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्ति

गैरकानूनी सभा के सदस्यों के रूप में उनकी निंदा नहीं की जा सकती थी। ऐसे सभी मामलों में अभियोजन पक्ष को यह दिखाने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करना होगा कि किसी विशेष अभियुक्त ने यह स्थापित करने के लिए कुछ स्पष्ट कार्य किया था कि वह गैरकानूनी सभा का सदस्य था। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के मामले की जांच की आवश्यकता होगी ताकि केवल वे दर्शक जो अभी-अभी सभा में शामिल हुए थे और जो इसके उद्देश्य से अनजान थे, उन्हें गैरकानूनी सभा के सदस्यों के रूप में ब्रांडेड नहीं किया जा सके।

36. बलादीन मामले में की गई टिप्पणियाँ [ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 181: 1956 क्री एल. जे. 345] को मसाल्ती बनाम में माना गया था। यू. पी. राज्य [ए. आई. आर 1965 एस. सी. 202: (1965) 1 सी. आर. आई. एल. जे. 226] जहाँ इस न्यायालय ने समझाया कि जिन मामलों में वे व्यक्ति जो केवल निष्क्रिय गवाह हैं और सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा किए बिना जिज्ञासा से सभा में शामिल हुए थे, वे एक अलग आधार पर थे; अन्यथा यह साबित करना आवश्यक नहीं था कि व्यक्ति ने कुछ अवैध कार्य किया था या सभा के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में कुछ चूक का दोषी था, इससे पहले कि वह कर सके।

आई. पी. सी. की धारा 149 की सहायता से विधानसभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए कार्य के परिणामों के साथ जोड़ा जाएगा। इस संबंध में निम्नलिखित अंश उपयुक्त हैः (मसाल्ती मामला [ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202: (1965) 1 Cri LJ 226], AIR p. 211 , पैरा 17)

" 17. ..... ऐसे मामले में यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सभा में पाँच या अधिक व्यक्ति शामिल थे और

क्या उक्त व्यक्तियों ने धारा 141 द्वारा निर्दिष्ट एक या अधिक सामान्य उद्देश्यों को पूरा किया है। इस प्रश्न का निर्धारण करते समय, यह विचार करना प्रासंगिक हो जाता है कि क्या सभा में कुछ ऐसे व्यक्ति शामिल थे जो केवल निष्क्रिय गवाह थे और सभा के सामान्य उद्देश्य को ध्यान में रखे बिना बेकार जिज्ञासा के रूप में सभा में शामिल हुए थे। यह उस संदर्भ में है कि इस न्यायालय द्वारा बलादीन [ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 181 में की गई टिप्पणियांः 1956 सी. आर. आई. एल. जे. 345] का महत्व है; अन्यथा, कानून में, यह नहीं होगा

यह कहना सही है कि किसी व्यक्ति को गैरकानूनी सभा का सदस्य माने जाने से पहले, यह दिखाया जाना चाहिए कि उसके पास था [2021] 11 एस. सी. आर.
के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में कुछ अवैध कार्य किया था या कुछ अवैध चूक का दोषी था।

प्रत्येक व्यक्ति जो उस कार्य को करने के समय अपराध, एक ही सभा का सदस्य है, उस के लिए दोषी है

अपराध; और यह दृढ़ता से इस सिद्धांत को सामने लाता है कि

धारा 149 द्वारा विहित दंड एक अर्थ में है।

अपराध वास्तव में प्रत्येक सदस्य द्वारा किया गया है गैरकानूनी सभा "।

(जोर दिया गया)

37. फिर से बाजवा वी। उत्तर प्रदेश राज्य [(1973) 1 एस. सी. सी. 714] यह

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गुट-ग्रस्त समाज में हमेशा एक

निर्दोष को भी दोषी के साथ फंसाने की प्रवृत्ति, केवल

निर्दोष की निंदा करने के जोखिम के खिलाफ सुरक्षा दोषी स्वीकार्य साक्ष्य पर जोर देने में निहित है जो कुछ मामलों में

उपाय अभियुक्त को निहित करता है और विवेक को संतुष्ट करता है

अदालत।

39. कि एक गुट-ग्रस्त ग्रामीण समुदाय में, एक प्रवृत्ति है

दोषियों के साथ-साथ निर्दोष लोगों को भी फंसाना, विशेष रूप से जब

बड़ी संख्या में हमलावर एक आयोग में शामिल हैं

अपराध सामान्य ज्ञान का विषय है। ऐसे मामलों में साक्ष्य

हाथ से ऐसे साक्ष्य को केवल उसी आधार पर अस्वीकार करने का मार्ग, क्या किया जाना चाहिए कि बयानों से सावधानीपूर्वक संपर्क किया जाए

और किसी भी गर्भपात से बचने के लिए साक्ष्य की अधिक बारीकी से जांच करें

न्याय "। प्रेरक

51. पर्याप्त सबूत मिलने पर अभिप्रेरणा अपना महत्व खो सकती है।

अदालत की स्वीकृति के लिए चश्मदीद गवाह उपलब्ध हैं। जब एक उद्देश्य एक बोधगम्य को पेश करने का प्रभाव हो सकता है

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तावित मामले के पक्ष में

एड, इसे एक तरफ नहीं रखा जा सकता है। यह अधिक प्रासंगिक हो जाता है जब एक एड निजी बचाव की याचिका को स्थापित करता है। एक आम वस्तु और एक

हम आपस में जुड़ सकते हैं। इस प्रकार, एक जानबूझकर और जानबूझकर अरविंद कुमार @नेमिचांद और ओआरएस।

अभिप्रेरणा के आधार पर निर्विवाद साक्ष्य से बचना अभियोजन पक्ष के बयान को एक गंभीर संदिग्ध बना देगा।

खूबियां

52. हम इस बात से व्यथित हैं कि जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की गई है। हम पहले से ही सबूत दर्ज कर चुके हैं

अभियोजन पक्ष की ओर से। इस गवाह ने बहुत स्पष्टता के साथ दोहराया है कि आरोपी को पुलिस द्वारा 19.07.1989 पर भेजा गया था। जोड़ा गया इसके लिए, प्रदर्शनी डी-15 और डी-16 को रक्षा द्वारा चिह्नित किया गया था। उपरोक्त दो प्रदर्शनियों के तहत चोट की रिपोर्ट चोटों की प्रकृति का संकेत देती है।

पीड़ित हुए। अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर दो घायल व्यक्तियों को रोगी के रूप में भर्ती किया गया है और उनका इलाज किया गया है। सवाल उठाए जाने के बावजूद, पीडब्लू-20 और पीडब्लू-21 द्वारा जानबूझकर इनकार किया गया था। तथ्य यह है कि चोट की रिपोर्ट में प्राथमिकी का उल्लेख नहीं किया गया है, यह भी मामले को कमजोर करता है

पुलिस थाना और वह भी पीडब्लू-20 की जानकारी में नहीं। जब पीडब्लू-5 लिख सकता था और संभवतः अन्य गवाह उस समय उपस्थित थे प्रदर्शनी पी-12 और पी-13 का पंजीकरण, किसी अज्ञात अजनबी को शामिल करने का कोई कारण नहीं है। पीडब्लू-20 का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि यह किसके द्वारा और कहाँ लिखा गया था। पीडब्लू-5 द्वारा की गई लिखित शिकायत की उत्पत्ति पर निश्चित रूप से हमारे दिमाग में एक बहुत ही गंभीर संदेह उभरता है और वह भी

स्पष्ट दमन के दांत बनाए गए। पीडब्लू-11 द्वारा दिए गए साक्ष्य कि अभियुक्तों को दुर्घटना के बहाने अस्पताल लाया गया था, को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अन्य घायल गवाह भी वहाँ थे और पोस्टमार्टम किया गया था। उन्होंने पुलिस की मौजूदगी को भी स्वीकार किया। उनके साक्ष्य को पीडब्लू-20 या पीडब्लू-21 द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। एक बार जब हम उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उक्त निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं, तो पूरी तथाकथित वसूली पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जाँच के दौरान तैयार किए गए अन्य दस्तावेजों द्वारा योजना की तैयारी स्पष्ट रूप से घायल अभियोजन पक्ष के गवाहों की भागीदारी का संकेत देती है और इस संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है।

53. हम पाते हैं कि लगी चोटें साधारण चोटें नहीं हैं और वे कई हैं। घायल अभियुक्तों को अस्पतालों [2021] 11 एस. सी. आर. में भर्ती कराया गया था।

जैसे-रोगियों में। जाँच अधिकारी जानबूझकर निजी बचाव के पहलू में नहीं गया। सुरजाराम द्वारा प्राप्त स्थगन आदेश पर विचार न करने के संबंध में एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति है, शिकायत

उसके द्वारा दी गई, पार्टियों के बीच आयोजित पूर्व पंचायत और उसके द्वारा निर्मित दीवार अभियोजन पक्ष के गवाहों और मृतक को उनके संबंधित स्थानों तक पहुंचने से रोकती है। शायद अभियोजन पक्ष एक अलग निष्कर्ष पर पहुँचता और इसलिए अदालत भी अगर सच्चाई को उसी के अनुसार रखा जाता। इसके विपरीत, गवाह अभियुक्त को लगी चोटों से इनकार करते हैं, हालाँकि एफ़. आई. आर. में इसका उल्लेख है।

पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 के साथ पीडब्लू-20 का प्रमाण। पीडब्लू-20 ने यह भी स्वीकार किया है कि इसे पीडब्लू-5 की सलाह के अनुसार तैयार किया गया था। सबूत यह सुझाव देता है कि कोई अवरोध नहीं था, और दीवार का निर्माण मुख्य आरोपी द्वारा किया गया था और घटना के स्थान और आरोपी की भूमि के बीच बहुत अधिक दूरी नहीं है। यह घटना आंगन में भी हुई जो एक खुली जगह है। यद्यपि वास्तविक शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, हम पाते हैं कि जब तथ्यों पर अदालतों द्वारा ठीक से विचार नहीं किया जाता है और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के विपरीत होते हैं, तो यह न्यायालय निश्चित रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 का आह्वान कर सकता है। आखिरकार, एक आपराधिक मामला एक दीवानी मामले की तुलना में एक अलग आधार पर खड़ा होता है जहां अभियोजन पक्ष पर बहुत अधिक जिम्मेदारी होती है। वहाँ एक है

अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा पेश किए गए मामले से आगे न जाने का सचेत प्रयास।

55. अभियुक्त व्यक्तियों के लिए अदालत द्वारा अपनाए गए तर्क को दूसरों के मामले में भी लागू करना होगा क्योंकि हम पहले से ही उपरोक्त विचार व्यक्त कर चुके हैं, क्योंकि हम पाते हैं कि -

अभियोजन पक्ष के मामले पर अविश्वास करने के लिए किया गया दमन पर्याप्त होगा। न्यायालय के लिए किए गए अपराध या उस मामले के संबंध में एक अलग निष्कर्ष पर आने के लिए कोई पर्याप्त सामग्री नहीं है, जो निजी बचाव से अधिक का मामला है। अभियुक्त व्यक्तियों ने निजी बचाव के साथ-साथ एक खुले इनकार की याचिका भी ली है। एक बार जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि जिन अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया गया है, वे उपस्थित नहीं होते, तो निजी बचाव की अवधारणा अधिक महत्व रखती है। स्वयं उच्च न्यायालय और दूसरे अवसर पर निचली अदालत भी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह अरविंद कुमार @नेमिचांद और हमारा है।

अति निहितार्थ का मामला। हम उस संबंध में न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

56. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य, विशेष रूप से,

प्रत्यक्षदर्शी आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं। हालाँकि इस बात से स्पष्ट इनकार किया जा सकता है कि उन्होंने घायल अभियुक्त व्यक्तियों पर हमला किया था, लेकिन केवल यह बयान कि वे लकड़ी ले गए थे, निजी बचाव पक्ष की याचिका को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, विशेष रूप से चोटों के आलोक में। गवाह मृतक और अन्य घायल गवाहों को लगी कई चोटों के बारे में बताते हैं। यह विचार कि एक घायल गवाह के साक्ष्य को एक उच्च पीठ पर रखा जाना है, निजी बचाव के मामले में लागू नहीं हो सकता है जिसमें आरोपी भी घायल हो जाता है। डॉक्टर का सबूत समर्थन नहीं करता है

विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य। प्रत्यक्षदर्शियों ने चाकू, फारसी और भाले का यादृच्छिक रूप से उपयोग किए जाने की बात कही है। फारसी जैसे हथियारों का उपयोग करने वाले दोषी अभियुक्त के लिए जिम्मेदार प्रत्यक्ष कार्य चोटों के अनुरूप नहीं है। चोटें मुख्य रूप से घाव की प्रकृति की होती हैं। यह चर्चा हम अपने प्राथमिक निष्कर्ष के अलावा करते हैं जिस पर हम पहले ही पहुँच चुके हैं। यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि घटना की उत्पत्ति और उत्पत्ति और जिस तरह से यह हुआ, निश्चित रूप से दबा दिया गया है। जब निजी बचाव की याचिका है इसे लेते हुए, भौतिक साक्ष्य की गुणवत्ता सामान्य परिस्थितियों में आवश्यक साक्ष्य की तुलना में थोड़ी अधिक होनी चाहिए। हम मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष की भूमिका से चिंतित हैं। दुर्भाग्य से, दो लोगों की जान चली गई है। हालांकि, केवल नैतिक आधार पर संदेह कभी भी दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता है। हम केवल इस बात पर अफसोस कर सकते हैं कि अभियोजन पक्ष के अनुचित दृष्टिकोण से स्थिति सामने आई है। संयोग से, हम बरी किए जाने पर उच्च न्यायालय के विचारों को स्वीकार करते हैं।

57. हम ध्यान दे सकते हैं कि अभियोजन पक्ष के गवाह अलग-अलग स्थानों पर रहते हुए भी घटना स्थल पर बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। मान लीजिए, यह घटना रात के समय भी हुई थी और पर्याप्त प्रकाश के अस्तित्व को दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है। 58. दूसरे मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, अभियोजन पक्ष के संस्करण को और भी अधिक उजागर करता है। गवाह एक बार फिर दोहराते हैं और न केवल पूर्व विवाद और घटना के तथ्य की पुष्टि करते हैं, बल्कि कुछ दिन पहले मार्ग के बंद होने की भी पुष्टि करते हैं। दबाए जा रहे तथ्यों पर हमारी चर्चा दूसरी बार सरकारी डॉक्टर की गवाही के माध्यम से मजबूत होती है। यहां तक कि अदालतों ने भी पाया कि कुछ मामलों में वसूली साबित नहीं होती है। [2021] 11 एस. सी. आर. दाखिल करने में देरी पर निष्कर्ष दिए गए हैं।

एफ. आई. आर. और गवाहों द्वारा अत्यधिक निहितार्थ। इस प्रकार, हम केवल यह कह सकते हैं कि दूसरा मुकदमा अभियोजन पक्ष के मामले को बेहतर बनाता है। हम अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा किए गए निवेदन में भी बल पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने को चुनौती नहीं दी गई है।

की गई चर्चाओं के आलोक में। प्रस्तुत साक्ष्य अलग करने योग्य नहीं है और प्रस्तुत किए गए सामान्य निष्कर्षों को सभी अभियुक्तों पर लागू किया जाएगा। बहुत सारी खामियां हैं जिन्हें भरा नहीं जा सकता है, और न ही निजी रक्षा के अधिकार को पार करने सहित किसी अलग निष्कर्ष पर आने के लिए कोई सबूत है। ग्रामीणों के दो समूहों के बीच नागरिक विवाद के रूप में जो सामने आया वह एक आपराधिक मामले में बदल गया। 60. इस प्रकार हम यह अभिनिर्धारित करने के लिए इच्छुक हैं कि अभियुक्त-अपीलार्थी संदेह के लाभ के हकदार हैं क्योंकि हम याचिका को अपनी अभिमत भी देते हैं।

यथासंभव निजी रक्षा और जिम्मेदारी के उचित निर्वहन के साथ प्रशंसनीय। 61. उपरोक्त चर्चा के संदर्भ में, अभियुक्त द्वारा दायर अपीलें अर्थात 2017 की आपराधिक अपील सं. 753 और आपराधिक अपील सं.

756 2017 की अनुमति दी जाती है और वास्तविक शिकायतकर्ता यानी आपराधिक अपील संख्या द्वारा दायर अपीलों की अनुमति दी जाती है। 754-755 तदनुसार 2017 को खारिज कर दिया जाता है।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

निधि जैन